

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 मई 2023—वैशाख 22, शक 1945

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 2 मई 2023

फा. क्र. 1930-2023-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को एतद्द्वारा, उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार उक्त पद पर पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है :—

क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
01.	श्री अंजनी नंदन जोशी, तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बैड़न, जिला सिंगरौली.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दमोह श्री भगवत प्रसाद पाण्डेय के स्थान पर.

4097

(1)	(2)	(3)
02.	श्रीमती नोरीन निगम, तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सीधी.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सतना (रिक्त पद पर).
03.	डॉ. कुलदीप जैन, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सारंगपुर, जिला राजगढ़.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, नीमच (रिक्त पद पर).
04.	श्री अवधेश कुमार (गुप्ता), विधिक सलाहकार, लोकायुक्त संगठन, भोपाल.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, डिण्डौरी में रिक्त पद पर तथा इसके साथ ही वे हर महीने 2 सप्ताह की अवधि के लिए कुटुम्ब न्यायालय, उमरिया में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे.

उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय होगा.

भोपाल, दिनांक 8 मई 2023

फा. क्र. 2159-इक्कीस-ब (एक)-2023.—विधिक सेवा प्राधिकरण संशोधन अधिनियम, 1994 (1994 का संख्यांक 59) द्वारा यथा संशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 का संख्यांक 39 की धारा 6 की उपधारा (2) को खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से श्री आलोक अवस्थी, प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की कालावधि के लिये मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, के पदेन सदस्य के रूप से नामनिर्दिष्ट करता है.

No. 2159-XXI-B(1)- 2023.—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of Section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987) as amended by Legal Services Authorities (Amendment) Act, 1994 (No. 59 of 1994), the State Government in consultation with the Chief Justice of Madhya Pradesh High Court, hereby nominate Shri Alok Awasthi, Principal District Judge and Chairman, District Legal Services Authorities, Jabalpur as Ex-Officio Members of the Madhya Pradesh State Legal Services Authority for a period of two years with effect from the date assume charge.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बिनोद कुमार द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2023

फा. क्र. 1784-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, इस विभाग के आदेश दिनांक 18 अप्रैल 2022 द्वारा लोकायुक्त संगठन ग्वालियर के प्रकरणों में पैरवी किये जाने हेतु नियुक्त अधिवक्ता श्री संकल्प शर्मा, विशेष लोक अभियोजक, ग्वालियर के कार्यकाल में दिनांक 19 अप्रैल 2023 से पुनः एक वर्ष की अभिवृद्धि करता है. उन्हें प्रतिमाह नियत मासिक पारिश्रमिक की राशि 55000/- रुपये तथा संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय देय होगा, पारिश्रमिक का भुगतान लोकायुक्त संगठन भोपाल द्वारा किया जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास भट्टेले, अतिरिक्त सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 मई 2023

क्र. 1130-1292582-2023-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 (2016 का सं. 02) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिले का नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	सीहोर	सीहोर	सुश्री इकरा मिनहाज, JMFC
2	ग्वालियर	ग्वालियर	श्रीमती रूपाली उईके, JMFC

No. 1130-1292582-2023-L-2.—In exercise of the powers conferred by sub section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act 2015 (No. 02 of 2016), the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below for the District as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely :—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the District	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sehore	Sehore	Sushri. Iqra Minhaj, JMFC
2	Gwalior	Gwalior	Smt. Rupali Uikey, JMFC

क्र. 1132-1275732-2023-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 (2016 का सं. 02) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिले का नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	श्रीमती सविता वर्मा, JMFC

No. 1132-1275732-2023-L-2.—In exercise of the power conferred by sub section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 (No. 02 of 2016), the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below for the District as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely :—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the District	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Narsinghpur	Narsinghpur	Smt. Savita Verma, JMFC

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपाली रस्तोगी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 मई 2023

क्र. 1222-1292608-23-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 (2016 का सं. 02) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिले का नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	भोपाल	भोपाल	सुश्री श्रुति जैन, JMFC
2	दमोह	दमोह	सुश्री दिव्या रामटेके, JMFC

No. 1222-1292608-23-L-2.—In exercise of the power conferred by sub section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 (No. 02 of 2016), the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below for the District as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely :—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the District	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bhopal	Bhopal	Sushri. Shruti Jain, JMFC
2	Damoh	Damoh	Suhri Divya Ramteke, JMFC

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय कटेशारिया, उपसचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 मई 2023

क्र. यूडीएच-4-3-5-0008-2023-अठारह-5.—राज्य शासन, एतद्वारा, भू-संपदा नियम, 2017 के नियम 32 (सी) के अंतर्गत मध्यप्रदेश भू-सम्पदा अपीलीय अधिकरण के पत्र दिनांक 22 फरवरी 2023 में दिये गये प्रस्ताव/शर्तों के अनुरूप श्रीमती जयश्री क्रियावत, (सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के सुपर टाइम स्केल वेतनमान) को रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश भू-सम्पदा अपीलीय अधिकरण (रिएट), भोपाल के पद पर अस्थायी रूप से संविदा नियुक्ति पर पदस्थ किये जाने की अनुमति प्रदान करती है।

भोपाल, दिनांक 4 मई 2023

क्र. 841-2023-अठारह-5.—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17क(1) के अंतर्गत बालाघाट विकास योजना, हेतु मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक एफ-3-25-99-बत्तीस, दिनांक 30 मार्च, 1999 को निरस्त करते हुए, बालाघाट विकास योजना पुनर्विलोकन एवं संशोधन हेतु निम्नानुसार समिति का पुनर्गठन किया जाता है। यह समिति, अधिनियम की धारा 17 क(2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी :—

अधिनियम की धारा 17 (क) (1) की उपधारा	पदनाम	संस्था / पता	समिति में पद
(1)	(2)	(3)	(4)
(क)	सांसद सदस्य	लोक सभा क्षेत्र, बालाघाट	सदस्य
(ख)	विधायक	विधानसभा क्षेत्र, बालाघाट	सदस्य
(ग)	अध्यक्ष	नगरपालिका परिषद्, बालाघाट	सदस्य
(घ)	अध्यक्ष	जिला पंचायत, बालाघाट	सदस्य
(ङ)	अध्यक्ष	नगर विकास प्राधिकरण / साडा	कोई नहीं
(च)	अध्यक्ष	जनपद पंचायत, छिन्दवाड़ा	सदस्य
(छ)	(1) सरपंच	सरपंच ग्राम पंचायत, कोसमी	सदस्य
	(2) सरपंच	सरपंच ग्राम पंचायत, कोलवा	सदस्य
	(3) सरपंच	सरपंच ग्राम पंचायत, टवेझिरी	सदस्य
	(4) सरपंच	सरपंच ग्राम पंचायत, बोदा	सदस्य
	(5) सरपंच	सरपंच ग्राम पंचायत, आंवलाझिरी	सदस्य
	(6) सरपंच	सरपंच ग्राम पंचायत, भरवेली	सदस्य
	(7) सरपंच	सरपंच ग्राम पंचायत, हीरापुर	सदस्य
	(8) सरपंच	सरपंच ग्राम पंचायत, भटेरा	सदस्य
	(9) सरपंच	सरपंच ग्राम पंचायत, बघोली	सदस्य
	(18) सरपंच	सरपंच ग्राम पंचायत, अमेड़ा	सदस्य
	(11) सरपंच	सरपंच ग्राम पंचायत, बगदरा	सदस्य
	(12) सरपंच	सरपंच ग्राम पंचायत, नवेगांव	सदस्य
	(13) सरपंच	सरपंच ग्राम पंचायत, लिंगा (लिंगा एवं परसवाड़ा)	सदस्य
	(14) सरपंच	सरपंच ग्राम पंचायत, नैतरा	सदस्य
	(15) सरपंच	सरपंच ग्राम पंचायत, गोगलई	सदस्य
	(16) सरपंच	सरपंच ग्राम पंचायत, खैरी	सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)
	(17) सरपंच	सरपंच ग्राम पंचायत, एकोडी	सदस्य
	(18) सरपंच	सरपंच ग्राम पंचायत, रेंगाटोला	सदस्य
	(19) सरपंच	सरपंच ग्राम पंचायत, जागपुर	सदस्य
	(20) सरपंच	सरपंच ग्राम पंचायत, रजेगांव	सदस्य
	(21) सरपंच	सरपंच ग्राम पंचायत, अलेझरी	सदस्य
	(22) सरपंच	सरपंच ग्राम पंचायत, गर्ग	सदस्य
	(23) सरपंच	सरपंच ग्राम पंचायत, मांझापुर	सदस्य
	(24) सरपंच	सरपंच ग्राम पंचायत, कनकी	सदस्य
	(25) सरपंच	सरपंच ग्राम पंचायत, डुंगरिया	सदस्य
(ज)	(1) प्रतिनिधि	कलेक्टर, जिला बालाघाट	सदस्य
	(2) प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, बालाघाट	सदस्य
	(3) प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, बालाघाट	सदस्य
	(4) प्रतिनिधि	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, बालाघाट	सदस्य
	(5) प्रतिनिधि	इंस्टिट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया	सदस्य
	(6) प्रतिनिधि	इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया	सदस्य
	(7) प्रतिनिधि	काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर	सदस्य
(झ)	समिति का संयोजक	संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जबलपुर (मध्यप्रदेश).	संयोजक

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 9 मई 2023

सूचना

क्र. यूडीएच-3-0063-2022-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा पीथमपुर निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2035 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(2) में उपांतरणों के साथ अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात् :-

- (1) आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर, मध्यप्रदेश
- (2) कलेक्टर, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश
- (3) संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, इंदौर, मध्यप्रदेश
- (4) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद्, पीथमपुर, जिला धार, मध्यप्रदेश
- (5) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद्, बैटमा, तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

2. ग्राम पिपलिया मल्हार के खसरा क्र. 55/1/1 की औद्योगिक भूमि के खसरा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इंदौर द्वारा डब्ल्यू. पी. नं. 7145 / 2023 में दिनांक 4 मई 2023 को स्थगन आदेश पारित होने से उक्त के संबंध में कार्यवाही माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अद्यधीन रहेगी.

3. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 9 मई 2023

क्र. यूडीएच-03-0063-2022-अटारह-5.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्रमांक-यूडीएच-03-0063-2022-अटारह-5, दिनांक 9 मई 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.

Bhopal, the 9th May 2023

NOTICE

No. UDH-3-0063-2021-XVIII-5.— Notice under section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan with modifications for Pithampur (Planning Area) 2035 under sub-section (2) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours, namely :—

- (1) Commissioner, Indore division, Indore, Madhya Pradesh.
- (2) Collector, District Indore, Madhya Pradesh
- (3) Joint Director, Town & Country Planning, District Office Indore, Madhya Pradesh
- (4) Chief Municipal Officer, Nagar Palika Parishad, Pithampur, Dist. Dhar, Madhya Pradesh
- (5) Chief Municipal Officer, Nagar Parishad, Betma, Teh. Depalpur, Dist. Indore, Madhya Pradesh.

2. Regarding the industrial land of khasra No. 55/1/1 of village piplia Malhar, the Hon'ble High Court Bench, Indore has passed adjournment order dated 04/05/2023 in W. P. No. 7145/2023, action shall be as per final decision of Hon'ble Court.

3. The said development plan shall come into operation with effect from the date of publication of this notice in Madhya Pradesh Gazette under section 19(5) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. KARTIKEY, Dy. Secy.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला रतलाम, मध्यप्रदेश

रतलाम, दिनांक 2 मार्च 2023

(अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी से भूमि क्रय नीति 2014)

क्र. 528-भू-अर्जन-23-प्र. क्र. 011-अ-82-2022-23.— एतद्द्वारा, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अनुभाग रतलाम शहर के रेल्वे समपार क्रमांक 81 पर सुभाषनगर रतलाम में रेल्वे ओव्हर ब्रिज निर्माण योजना अंतर्गत जिला रतलाम की तहसील शहर के प. ह. नं. 22 के ग्राम बिरियाखेडी के 01 खाताधारक की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 12-2-2014-सात-2 ए-भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 के तहत आपसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्तावित है।

अतः, निम्नलिखित भूमि में किसी व्यक्ति / संस्था को भूमि स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात् किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

क्र.	कृषकगण का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क्रमांक	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)			परिसम्पत्ति का विवरण
			सिंचित	असिंचित	कुल	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	विश्वंभर, गोविन्दकुमार, ईश्वरीय प्रसाद, लक्ष्मीनारायण पिता गजाधर ब्राम्हण, निवासी जावरा रोड, रतलाम.	150/1/1क	0.0219	-	0.0219	-

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, रतलाम शहर एवं कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. सेतु, संभाग उज्जैन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 26 अप्रैल 2023

क्र.-233-भू-अर्जन-2023.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

चूँकि, भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदले वर्तमान भू-अधिग्रहण अधिनियम, 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण अधिनियम की धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

भूमि का वर्णन				अनुसूची	धारा 12 की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	धार 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	धबैया-289	0.188	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रीवा.	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रीवा.	रीवा जिले के रघुनाथगंज से दुआरा मार्ग में बेड़िया (पकड़ियार) नदी पर जलमगनीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर जिला रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रतिभा पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डोरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डोरी, दिनांक 4 मई 2023

क्र.-भू-अर्जन-2023-24-04-अ-82-23-24-325.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

भूमि का वर्णन				अनुसूची	अधिनियम की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)
डिण्डोरी	शहपुरा	कलगीटोला माल प. ह. नं. 107	107.665	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 2, जिला मण्डला.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 2, जिला मण्डला.	राघवपुर बहुउद्देश्यीय परियोजना हेतु.
			योग . .			
			107.665			

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-राघवपुर बहुउद्देश्यीय परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितवद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डिण्डोरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-2023-24-05-अ-82-23-24-326.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				अधिनियम की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिंडोरी	शहपुरा	कलगीटोला रैयत प. ह. नं. 107	104.370	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 2, जिला मण्डला.	राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु.
			योग . .		
			104.370		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डिंडोरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-2023-24-07-अ-82-23-24-327.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				अधिनियम की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिंडोरी	डिंडोरी	घुसिया माल प. ह. नं. 13	72.850	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 2, जिला मण्डला.	राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु.
			योग . .		
			72.850		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाइट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डिंडोरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-2023-24-06-अ-82-23-24-328.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				अधिनियम की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिंडोरी	शहपुरा	मरवारी रैयत प. ह. नं. 107	62.340	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 2, जिला मण्डला.	राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु.
योग . .					
62.340					

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mpvenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डिंडोरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र.-भू-अर्जन-2023-24-08-अ-82-23-24-329.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				अधिनियम की धारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम एवं प. ह. नं.	भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डिंडोरी	डिंडोरी	घुसिया रैयत प. ह. नं. 29	19.260	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 2, जिला मण्डला.	राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु.
योग . .					
19.260					

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mpvenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डिंडोरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश
खरगोन, दिनांक 26 अप्रैल 2023

प्रारूप "ख"

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2013-वा-1-री-रा.-प्र.-क्र-0012-2022-23.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-करीयापुरा, प. ह. नं. -22, तहसील भगवानपुरा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	भगवानपुरा	करीयापुरा/22	46/1/2	0.004
			46/1/1	0.006
			46/2	0.024
			49/1	0.007
			49/2/1	0.047
			59/2	0.012
			59/1	0.009
			51	0.032
			52/2/1	0.005
			52/2/2	0.009
			52/2/3	0.009
			54/1	0.008
			54/4	0.004
			18/6	0.026
			18/4	0.017
18/3	0.002			
20/1	0.025			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			19	0.019
			15	0.004
			15/118	0.039
			59/1	0.03
			59/2	0.023
			60/1/1	0.012
			60/1/2	0.024
			61/2/2	0.004
			61/2	0.013
			61/2/3	0.007
			61/3	0.006
			61/3/1	0.01
			61/6	0.01
			62/2	0.018
			62/1	0.013
		योग . .	32	0.478

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्रारूप “ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2113-वा-1-री-रा.-प्र.-क्र-0035-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगोवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-खामखेडा, प. ह. नं. -79, तहसील गोगोवा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	गोगाँवा	खामखेडा/79	18/3/1	0.035
			18/1/1	0.013
			21/9	0.004
			21/3	0.017
			5/1	0.033
			5/3	0.036
			6/6	0.017
			6/5	0.006
			7	0.041
			11	0.029
योग . .			10	0.231

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्रारूप "ख"

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 1989-वा-1-री-रा.-प्र.-क्र-0006-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-ग्यारसपुरा, प. ह. नं. -43, तहसील गोगाँवा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	गोगाँवा	ग्यारसपुरा/43	188/3	0.063
			188/5	0.068
			156	0.04

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			157/1	0.025
			157/2	0.013
			218/2	0.031
			123	0.019
			113/6	0.034
			113/5	0.036
			111	0.046
			115/1	0.004
			115/2	0.035
			53/3/1	0.053
			23/1	0.033
			21/4	0.013
			24/1	0.053
			24/2/1	0.040
			15	0.081
			121/1	0.06
			122	0.025
			24/6	0.02
			218/2	0.058
			220	0.031
			219/1/d	0.026
			219/1/1k	0.043
			222/1	0.006
			229	0.042
			231	0.027
			228/1	0.024
			228/2	0.02
			227/1	0.011
			227/2	0.007
			226/4	0.04
			226/3	0.035
			226/1	0.067
			218/1/1	0.046
			219/3	0.066
			220	0.033
			222/1	0.026
			222/3	0.063
			229	0.009
			225	0.118
			222/2	0.015
			218/2	0.017
			8/5	0.021
			11/1	0.03
			12/1	0.007

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			12/2	0.007
			12/3	0.007
			12/4	0.007
			12/5	0.007
			12/6	0.008
			13/1	0.016
			13/3	0.04
			36	0.018
			37	0.003
			40	0.016
			16/8	0.004
			21/3	0.027
			226/5	0.014
		योग . .	60	1.854

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्रारूप “ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2012-वा-1-री-रा.-प्र.-क्र-0013-2022-23.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगावा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-चन्दावड, प. ह. नं. -24, तहसील भगवानपुरा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम/ प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	भगवानपुरा	चन्दावड/24	1/3	0.063
			1/2	0.031
			2	0.017
			71/1	0.069
			75/2	0.042

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			77	0.04
			78	0.068
		योग . .	7	0.330

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्रारूप “ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2005-वा-1-री-रा.-प्र.-क्र-0010-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-कुकडोल प. ह. नं. -27, तहसील गोगाँवा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	गोगाँवा	कुकडोल/27	329/1	0.015
			324/2	0.044
			324/1/2/2	0.021
			324/1/2/1	0.022
			322/2	0.007
			322/3	0.016
			319	0.004
			318/382	0.042
			318/2	0.010
			316	0.020
			315/1	0.008
			317	0.008
			309/1	0.014
			309/2	0.022

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			310/1	0.002
			308/9	0.016
			329/1	0.017
			329/2	0.027
			329/3/1	0.008
			330/1	0.01
			330/2	0.012
			333/2	0.042
			333/4/1/2	0.046
			340/1/2	0.007
			346/1/1	0.036
			342/1	0.078
			216/4	0.032
			212/1	0.022
			209/2/3	0.045
			208/2	0.012
			208/1	0.031
			214	0.003
			195/1	0.007
			195/2	0.027
			195/3	0.015
			195/4	0.011
			194	0.04
			191	0.006
			189/2	0.01
			182/2	0.023
			188/1	0.015
			188/2	0.018
			187/1	0.013
			187/3	0.007
			187/2	0.017
			186/5	0.008
			186/4	0.008
			186/3	0.008
			186/2	0.007
			186/1	0.008
			185/1	0.019
			185/2	0.012
			346/1/1	0.002
			340/1/2	0.012
			340/1/1	0.03
			339/1	0.015
			338	0.015
			236/1/2	0.023
			235/1	0.001
			236/1/1	0.02

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			232	0.016
			60	0.009
			22/2	0.028
			23/3	0.002
			23/2	0.007
			23/1	0.005
			24/2/1/1	0.006
			24/1	0.01
			25/3	0.008
			27/1	0.033
			379/8	0.022
			379/9	0.036
			377/4	0.009
			377/3	0.009
			377/1	0.007
			377/2	0.02
			375/5/5/2	0.012
			375/2/2	0.039
			375/5/1	0.011
		योग . .	79	1.385

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्रारूप “ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2009-वा-1-री-रा.-प्र.-क्र-0011-2022-23.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगावा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-चरी प. ह. नं. -24, तहसील गोगावा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	गोगाँवा	चरी/24	34	0.022
			34	0.018
			35/2	0.019
			35/1	0.013
			30	0.037
			31	0.018
			26/2	0.035
			योग	7

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्रारूप “ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 1997-वा-1-री-रा.-प्र.-क्र-0008-2022-23.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-छटलगाँव बुजुर्ग, प. ह. नं. -62, तहसील गोगाँवा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	गोगाँवा	छटलगाँव बुजुर्ग/62	163/1/4	0.025
			171/1	0.055
			169/3	0.018
			169/1	0.033
			186	0.026
			185/1	0.015
			185/2	0.013
			187/2	0.013

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			192/4	0.031
			196/1	0.031
			196/2/1	0.015
			196/2/2	0.015
			196/3	0.032
		योग . .	13	0.322

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्रारूप “ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2037-वा-1-री-रा.-प्र.-क्र-0018-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-जामन्या प. ह. नं.-37, तहसील गोगाँवा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	गोगाँवा	जामन्या/37	253/1	0.018
			253/2	0.022
			253/3	0.020
			254	0.064
			250	0.025
		योग . .	5	0.149

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्रारूप "ख"

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2085-वा-1-री-रा.-प्र.-क्र-0030-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्तान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगोवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-जामला प. ह. नं.-49, तहसील खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन जिला खरगोन मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	खरगोन नगर	जामला/49	120/2/1	0.028
			120/3	0.025
			114/5	0.023
			योग . .	0.076

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्रारूप "ख"

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2001-वा-1-री-रा.-प्र.-क्र-0009-2022-23.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्तान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगोवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-डोल प. ह. नं.-34, तहसील गोगोवा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन जिला खरगोन मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	गोगावाँ	डोल/34	60	0.012
			68/2	0.023
			68/3	0.024
			62	0.025
			63	0.003
			64	0.017
			65	0.052
			66	0.008
			71/4	0.025
			43/3/1	0.002
			43/2/3	0.006
			43/2/2	0.021
			43/2/1	0.008
			44/2	0.006
			44/1	0.031
			38/1	0.023
			38/2	0.003
			37	0.019
			35/2	0.017
			29/4	0.017
			29/3	0.014
			29/2	0.007
			29/1	0.012
			27/1	0.026
			28	0.002
			14/1	0.004
			21/3	0.025
			21/2	0.017
			12/6/2	0.049
		योग	29	0.498

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्रि, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्रारूप "ख"
[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2097-वा-1-री-रा.-प्र.-क्र-0033-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्तान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगोवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-ढाबला प. ह. नं.-81, तहसील खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन जिला खरगोन मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. मे.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	भगवानपुरा	ढाबला/81	56/3	0.011
			403/1	0.034
			402	0.014
			385	0.038
			181/4/1	0.03
			181/10	0.019
			181/11	0.021
			181/12	0.021
			179/13	0.017
			179/3	0.038
			179/19	0.003
			178/2	0.007
			178/3	0.02
			178/4	0.008
			203/1	0.016
			203/2/2	0.015
			213/1	0.013
213/2	0.024			
203/2/2	0.015			
204/1/1/1	0.005			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			204/1/1/2	0.006
			204/1/1/3	0.006
			204/1/1/4	0.006
			204/1/1/5	0.004
			204/1/1/6	0.003
			200	0.005
			200	0.033
			194/1	0.009
			194/2	0.006
			193/1	0.033
			244/1	0.017
			243/10	0.038
			200	0.053
			194/1	0.012
			194/2	0.009
			193/2/2	0.017
			196	0.015
			242/2/1/1	0.015
			242/2/2	0.015
			242/3	0.017
			63	0.010
			75	0.019
			73/1	0.029
			74/3/1	0.008
			74/3/2	0.016
			74/3/3	0.015
			78/2	0.021
			78/2	0.013
			79/4	0.014
			79/3	0.006
			87	0.041
			400/2	0.017
			397/2	0.010
			397/3	0.018
			396/1	0.012
			396/2/1	0.007
			242/3	0.034
			258/2	0.018
			286/1/2/1	0.011

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			286/2	0.016
			286/4	0.012
			252	0.021
			288/3/2	0.009
			288/3/3	0.023
			329	0.003
			331/1	0.017
			331/3	0.014
			331/3	0.015
			331/4	0.014
			331/5	0.012
			331/6	0.008
			322/1	0.021
			322/2	0.021
			327/1	0.002
			327/2	0.002
			325	0.007
			396/2/2	0.006
			396/2/3	0.005
			396/2/4	0.003
			394/1/1	0.036
			395/1/1	0.01
			395/1/2	0.013
			395/3	0.02
			429/7	0.032
			429/8	0.006
			323/3/1	0.002
			323/3/2	0.010
			323/5/2	0.006
			323/6/3	0.01
			323/7	0.014
			323/8/4	0.01
			323/10	0.011
		योग . .	92	1.418

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्रारूप "ख"
[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2069-वा-1-री-रा.-प्र.-क्र-0026-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-खतवास प. ह. नं.-49, तहसील खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	खरगोन नगर	खतवास/49	14/2	0.019
			15/4	0.003
			19/2/2	0.010
			19/1/3	0.002
			19/1/2/2	0.031
			19/1/2/1	0.021
			24/2/2/1	0.031
			24/1/1	0.025
			24/1/3	0.012
			24/3	0.016
			54/1/1/2	0.022
			49	0.011
			50	0.004
			45	0.019
			43/1	0.022
			43/2	0.021
39/2	0.019			
63/2/1	0.083			
76/1	0.027			
76/3	0.023			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			76/4	0.007
			76/6	0.029
			75/1	0.003
			75/2/1	0.044
			75/2/2	0.027
			84/2/1	0.007
			84/2/2	0.006
		योग . .	27	0.544

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्रारूप "ख"

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2121-वा-1-री-रा.-प्र.-क्र-0037-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगोवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-दाउतखेडी प. ह. नं.-30, तहसील भगवानपुरा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	भगवानपुरा	दाउतखेडी/30	147/2	0.020
			147/4	0.023
			150/1	0.024
			149/1	0.034
			156/2	0.032
			156/1/d	0.017
			157/1/4	0.019
			157/2	0.040

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			158/1	0.009
			158/8	0.003
			158/19	0.004
			158/9	0.009
			158/2	0.005
			158/15	0.005
			158/14	0.005
			158/9	0.005
			158/6	0.006
			158/7	0.013
			158/3	0.013
			158/10	0.006
			158/11	0.006
			158/13	0.004
			158/14	0.012
			158/16	0.004
			158/7	0.004
			158/18	0.006
			158/4/2	0.011
			167/1	0.009
			167/2	0.009
			167/3	0.009
			168/7	0.009
			168/2	0.008
			168/3	0.007
			169	0.033
			171	0.026
			172/14	0.012
			172/8	0.013
			179	0.020
			178/7	0.005
			185/4	0.037
			30/18/3	0.019
			30/19/1	0.004
			30/19/2	0.015
			150/1	0.010
			149/1	0.019
			147/3	0.049
		योग	46	0.652

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्रारूप "ख"
[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2125-वा-1-री-रा.-प्र.-क्र-0038-2022-23.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-दामखेडा प. ह. नं.-21, तहसील खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	भगवानपुरा	दामखेडा/21	39/2	0.051
			48/1	0.005
योग . .			2	0.056

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्रारूप "ख"
[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2021-वा-1-री-रा.-प्र.-क्र-0014-2022-23.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-पिपरखेडा, प. ह. नं.-63, तहसील गोगाँवा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	गोगाँवा	पिपरखेडा/63	10/2	0.016
			11/4	0.019
			11/2	0.010
			11/3	0.010
			12/3/2	0.018
			12/2	0.028
			12/3/1	0.009
			12/5/2	0.004
			13	0.019
			14	0.020
			15	0.033
			33/1	0.023
			33/2	0.010
			33/3	0.011
			34	0.029
			27/1	0.048
			44/2	0.087
			65/2	0.009
			65/4	0.021
			65/7	0.022
			65/8	0.018
			65/9	0.015
			65/11	0.031
योग . .		23	0.510	

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्रारूप "ख"

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2057-वा-1-री-रा.-प्र.-क्र-0023-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-बड़गाँव, प. ह. नं.-16, तहसील गोगाँवा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	गोगावाँ	बडगांव/16	2/3	0.031
			2/4	0.023
			3/1/2	0.024
			3/1/5	0.004
			4/1/1	0.019
			4/1/2	0.008
			72/1	0.014
			72/3	0.006
			72/7	0.009
			72/8/1	0.006
			72/8/2	0.005
			72/9	0.012
			73/15/7	0.007
			73/15/8	0.011
			73/15/4	0.002
			69/1	0.005
			74	0.004
			75/1	0.004
			76/2	0.004
			76/1	0.003
80/1	0.012			
80/2	0.006			
79/1	0.021			
79/2	0.017			
79/3	0.017			
102	0.002			
101/1	0.007			
101/3	0.008			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			101/2	0.025
			152/1	0.02
			152/6	0.004
			152/2	0.015
			152/4	0.006
			152/5	0.018
			152/491	0.018
			97/2/1	0.04
			97/3/1	0.006
			423/2	0.021
			423/3/1	0.006
			423/3/2	0.006
			423/3/3	0.006
			423/3/4	0.006
			423/3/5	0.006
			423/5	0.005
			426/1/1	0.006
			426/1/2	0.009
			426/1/3	0.009
			426/2	0.015
			427/1	0.016
			427/2	0.011
			427/3	0.01
			427/7	0.009
			427/4/1	0.022
			451/2	0.036
			451/2	0.004
			459/2	0.015
			459/1	0.032
			461	0.042
			458/3	0.044
			458/2/2	0.02
			458/2/1	0.011
			458/2/1	0.009
			457/2	0.022
			458/2/1	0.005
			458/2/2	0.011
			458/2/3	0.01
			458/2/4	0.019

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			451/2	0.009
			411/1	0.017
			411/2	0.017
			411/3	0.011
			411/7	0.01
			397/1/1	0.008
			396/2/3	0.013
			396/2/1	0.01
			396/2/2	0.016
			396/4	0.019
			392/2	0.023
			392/1/2	0.049
			152/5	0.008
			154	0.003
			155	0.014
			156/1	0.021
			171/1	0.009
			171/2	0.016
			172/2/3	0.004
			173/1	0.008
			229	0.001
			230/1	0.014
			234	0.009
			236	0.017
			239/1	0.002
			239/2/2	0.005
			351/1/2	0.014
		योग	94	1.233

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्रारूप "ख"

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2049-वा-1-री-रा.-प्र.-क्र-0021-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगावा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-बन्हेर, प. ह. नं.-23, तहसील भगवानपुरा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	भगवानपुरा	बन्हेर/23	269	0.063
			270/1	0.026
			268/7	0.028
			268/1/1	0.014
			268/1/2	0.068
			267	0.05
			273/311/1	0.027
			273/311/2	0.03
			273/311/3	0.037
			274	0.023
			251/1	0.028
			251/2	0.032
			249/5	0.046
			248/3	0.016
			248/2	0.019
			247/2	0.008
			247/1	0.029
			229/1	0.012
			223/1	0.035
			223/4	0.006
			223/3	0.032
			221	0.008
			215	0.011
214/1	0.032			
214/3	0.026			
213/1	0.02			
181	0.02			
185	0.009			
186	0.007			
योग . .			29	0.762

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्रारूप "ख"
[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2053-वा-1-री-रा.-प्र.-क्र-0022-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगोवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-बन्हुर, प. ह. नं.-19, तहसील भगवानपुरा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	भगवानपुरा	बन्हुर/19	110/1	0.016
			98/2	0.039
			98/1	0.053
			113	0.024
			93/1	0.025
			89/3	0.009
			15/1/4	0.004
			15/1/3	0.013
			14/1/1	0.012
			16/1/1	0.037
			28/1/1	0.014
			28/1/2	0.016
			24/3	0.011
			24/4/1	0.032
			43/3	0.003
			43/8/2	0.014
43/4	0.02			
43/5	0.004			
43/6	0.031			
69/3	0.018			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			69/4	0.005
			61/12	0.003
			62/8	0.002
			62/7	0.009
			62/6	0.009
			62/5	0.007
			62/4	0.004
			68/1	0.015
			68/4	0.008
			57/2	0.009
		योग . .	30	0.466

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्रारूप “ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2033-वा-1-री-रा.-प्र.-क्र-0017-2022-23.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्तान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगावा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-बालापुर, प. ह. नं.-48, तहसील गोगावाँ, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	गोगावाँ	बालापुर/48	11/1	0.123
			12/3	0.059
			14/1/1	0.031
			14/2/1	0.027
			14/2/2	0.037

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			15/3	0.019
			15/4	0.018
			15/5	0.018
			15/6/1	0.025
			15/6/2	0.018
			15/6/4	0.011
			22/1	0.05
			23/2	0.019
			23/1	0.042
			27/65/1	0.071
			26/1	0.095
			33/1	0.04
			33/3	0.023
			33/2	0.048
			31/2	0.04
		योग . .	20	0.814

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्रारूप “ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2105-वा-1-री-रा.-प्र.-क्र-0003-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगोंवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-बासखेडी, प. ह. नं.-21, तहसील भगवानपुरा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	भगवानपुरा	बासखेडी/21	47/51/4	0.003
			48/2	0.016
			48/1	0.016

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			49/2	0.003
			49/1	0.03
		योग	5	0.068

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्रारूप “ख”
[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2061-वा-1-री-रा.-प्र.-क्र-0024-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगावा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-बिस्टान, प. ह. नं.-35, तहसील गोगावा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	गोगावा	बिस्टान/35	123/3/2/2	0.035
			123/4/1	0.008
			123/2/1	0.008
			123/1	0.012
			124/2	0.016
			124/1	0.01
			124/3	0.011
			124/4	0.019
			114/1	0.031
			113/1	0.045
			111/2	0.024
			111/1	0.022
			132/3/1	0.013
			132/3/2	0.014

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			111/4	0.001
			106/1	0.008
			106/2	0.02
			105/1	0.038
			105/2	0.016
			104/3	0.013
			100/6	0.012
			100/5	0.01
			100/7	0.014
			100/2	0.002
			100/4	0.004
			99/2	0.019
			99/1/2	0.018
			45/2/1	0.005
			46/2	0.023
			46/1/1	0.007
			47/1	0.011
			47/2	0.035
			48/1	0.004
			62/2	0.026
			62/3/1	0.022
			62/3/2/3	0.006
			62/3/2/2	0.016
			62/3/2/1	0.002
			61/1	0.014
			60/2	0.03
			60/3	0.01
			60/339/4	0.01
			100/1	0.013
			62/3/2/1	0.001
			8	0.039
			7/3	0.038
			7/4	0.015
			6/1/2	0.034
			23/2	0.009
			23/1	0.009
		योग . .	50	0.822

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्रारूप “ख”
[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 1985-वा-1-री-रा.-प्र.-क्र-0005-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-भसनेर, प. ह. नं.-48, तहसील खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	खरगोन नगर	भसनेर/48	149/2	0.037
			149/1	0.034
			148/2	0.022
			148/1/1	0.012
			131/1/1	0.016
			132/1	0.025
			132/2	0.026
			133	0.012
			106	0.012
			106	0.017
			109/2	0.012
			110	0.032
			108/3	0.020
			योग . .	

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्रारूप “ख”
[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2081-वा-1-री-रा.-प्र.-क्र-0029-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-भातुड, प. ह. नं.-24, तहसील भगवानपुरा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

जिला	तहसील	ग्राम/ प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	भगवानपुरा	भातुड/24	38/1	0.026
			37	0.011
		योग . .	2	0.037

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्रारूप “ख”

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2109-वा-1-री-रा.-प्र.-क्र-0034-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगोवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-भानपुरा, प. ह. नं.-19, तहसील खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	खरगोन नगर	भानपुरा /19	27	0.016
			35	0.085
			30/2/1	0.036
			31	0.001

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			32/1	0.025
			32/2	0.025
			32/3	0.025
			3/1/1	0.012
		योग . .	8	0.225

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्रारूप "ख"

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2101-वा-1-री-रा.-प्र.-क्र-0004-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगोवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-महारेल, प. ह. नं.-32, तहसील भगवानपुरा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	भगवानपुरा	महारेल /32	27/1	0.044
			48/2	0.003
			48/3	0.021
			48/4	0.023
			47/2	0.006
			47/1	0.003
			49/1	0.025
			49/5	0.012
			49/6	0.006
			55/1	0.040
			56	0.004
			75	0.049
			76/2	0.022

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			76/1	0.012
			80/5	0.010
			92/1	0.005
			92/2	0.007
			83/1/2	0.013
			84/1	0.022
			84/2	0.035
			80	0.004
			89/1	0.011
			89/6	0.002
			144/2	0.033
			144/3/2	0.019
			83/1/1	0.024
			144/1/1	0.011
		योग . .	27	0.673

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्रारूप “ख”
[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2073-वा-1-री-रा.-प्र.-क्र-0027-2022-23.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगावा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-महुकुण्डिया, प. ह. नं.-49, तहसील खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	खरगोन नगर	महुकुण्डिया/49	9/1/2	0.009
			9/1/1	0.043
			11	0.01
			8/2	0.018
		योग . .	4	0.080

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्रारूप "ख"
[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2117-वा-1-री-रा.-प्र.-क्र-0036-2022-23.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-महुमांडली, प. ह. नं.-36, तहसील गोगाँवा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	गोगाँवा	महुमांडली/36	154/1	0.009
			154/2	0.009
			150/2	0.006
			136/4	0.027
			136/3	0.016
			136/2	0.012
			136/1	0.029
			132/6	0.013
			132/5	0.007
			133	0.004
			131	0.023
			128	0.036
			123/1	0.015
			123/2	0.013
			123/3	0.011
			123/4	0.013
			123/5	0.03
22/4	0.035			
22/5	0.003			
24/5	0.029			
24/6	0.037			
24/10	0.018			
25	0.043			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			5/12	0.003
			7/3	0.022
			7/2	0.011
			7/1	0.027
			6/7	0.022
			6/2	0.021
			5/14	0.013
			5/4	0.054
			42/5	0.01
			119/3/1	0.045
			119/6	0.01
			119/5	0.017
			116/8	0.017
			115/7	0.018
			115/6	0.018
			115/5	0.009
			115/4	0.009
			112	0.033
			93/2	0.007
			93/1	0.011
			34/4/3	0.032
			88	0.002
			86	0.023
			85/1	0.002
			60/1	0.028
			58/4	0.015
			58/3/1	0.015
			53/2	0.017
			53/3	0.015
			119/3/1	0.003
			119/7	0.043
			114/1	0.021
			178/1	0.042
			179/2	0.018
			180	0.028
			181/1	0.016
			108/2	0.018
			108/3	0.033
			101/1	0.012
			95/2	0.023
			96/228/1	0.027

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			96/228/2	0.021
			96/2	0.033
			98/2	0.004
			98/1	0.016
			53/1/1	0.014
			53/1/2	0.014
			53/1/3	0.014
			53/1/4	0.014
		योग . .	74	1.400

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्रारूप "ख"

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2041-वा-1-री-रा.-प्र.-क्र-0019-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-मेहरघट्टी, प. ह. नं.-52, तहसील गोगाँवा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए।

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	गोगाँवा	मेहरघट्टी/52	5/4	0.0128
			9	0.066
			19/3	0.005
			19/4	0.034

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			19/5	0.031
			22	0.021
			82/7	0.015
			107/2/1	0.023
			107/2/2	0.026
			93/1/3	0.031
			93/2/5	0.028
			101	0.021
			93/2/11	0.041
			95/9	0.008
			96/257/1	0.02
			96/257/2	0.026
			96/257/3	0.008
			5/4	0.014
			5/3	0.019
			5/2	0.019
			5/1	0.017
			4/2	0.009
			4/1	0.009
			3/2	0.009
			3/1	0.008
			2/5	0.022
			2/3	0.017
			12/1/1	0.052
			12/1/3	0.035
			12/1/2	0.067
			2/3	0.009
			12/1/1	0.022
			10/1	0.014
			10/2/1	0.011
			10/2/2	0.009
			10/4/1	0.021
			10/3	0.013
			10/5/1	0.012
			10/5/2	0.013
			10/8	0.023
			14/2	0.016
			14/1/1	0.028

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			207/2/5	0.02
			207/2/1	0.025
			207/2/2	0.026
			207/5/2	0.026
			24/4	0.041
			47/1	0.008
			46/1/1	0.002
			47/2	0.033
			46/1/2	0.017
			46/2	0.004
			48/2	0.013
			48/4	0.009
			45	0.019
			43	0.023
			42/2	0.033
			155/2	0.009
			155/3	0.011
			160	0.007
			161	0.05
			164	0.019
			168	0.017
			189/2	0.05
			190	0.014
			189/3	0.023
			201	0.038
			200/1	0.004
			203/1	0.008
			245/10	0.05
			194/1/2	0.033
			194/5	0.006
			194/2	0.003
			189/3	0.021
			190	0.02
		योग	75	1.702

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्रारूप "ख"

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2025-वा-1-री-रा.-प्र.-क्र-0015-2022-23.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-यशवन्तगढ, प. ह. नं.-24, तहसील भगवानपुरा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :

—

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. मं.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	भगवानपुरा	यशवन्तगढ/24	32/1	0.05
			31/3	0.044
			31/2	0.053
			30/3	0.032
			27/2	0.045
			27/3	0.059
			25/3	0.015
			25/4	0.053
			22/3	0.008
			22/1	0.022
			23/5	0.012
			23/4	0.011
			23/3	0.019
			20/8	0.032
			20/4	0.02
			20/7	0.007
			20/2	0.041
20/3	0.015			
20/5	0.044			
32/1	0.018			
32/2	0.015			
32/3	0.012			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			32/4	0.02
			32/7	0.007
			32/8	0.007
			32/10	0.012
			32/19	0.009
			32/18	0.011
			36/1/3	0.025
			36/1/1	0.063
			36/2	0.011
			36/9	0.011
			36/12	0.011
			36/11/1	0.022
			46/1	0.017
			46/2/1	0.019
			46/3	0.014
			44/1	0.025
			44/2	0.008
			44/3	0.008
			44/4	0.008
			43/9	0.008
			43/6	0.018
			43/4	0.01
			41/1	0.021
			40	0.034
			38/8	0.027
			38/9	0.006
			38/9	0.007
			38/6	0.02
			38/5	0.01
			27/2	0.008
			27/2	0.021
			27/1	0.031
			50/1	0.023
			50/2	0.022
			34/2	0.012
			34/5	0.018
			34/3	0.018
			34/4	0.016
			47/2	0.066
		योग . .	61	1.331

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

प्रारूप "ख"

[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2089-वा-1-री-रा.-प्र.-क्र-0031-2022-23.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगावाँ से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमें पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-रसगांगली, प. ह. नं.-32, तहसील भगवानपुरा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	भगवानपुरा	रसगांगली/32	26/1	0.02
			26/3	0.018
			25/3	0.011
			28/1	0.011
			28/3	0.015
			28/2	0.004
			28/8	0.004
			28/7	0.008
			38/1/1	0.006
			38/4	0.005
			38/5	0.006
			38/6	0.005
			38/3/2	0.007
			38/2	0.024
			39/2/2	0.024
			39/3	0.010
			115	0.015
114/1	0.017			
114/4	0.024			
योग			19	0.234

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्रारूप "ख"
[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2029-वा-1-री-रा.-प्र.-क्र-0016-2022-23.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगावाँ से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-राजपुरा, प. ह. नं.-25, तहसील गोगावाँ, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	गोगावाँ	राजपुरा/25	69/1	0.027
			71	0.030
			77/2	0.031
			79/1	0.011
			79/2	0.011
			79/3	0.012
			79/4	0.013
			79/5	0.013
			83/1	0.021
			83/2	0.001
			83/3/1/1	0.003
			81/3	0.002
			81/4	0.008
			81/5	0.008
			82	0.018
			85/2	0.010
			85/3	0.013
			85/4	0.008
			88/2	0.030
			98	0.011
99/1	0.007			
99/2	0.009			
101/1	0.007			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			104/1	0.020
			104/2	0.016
			110/1/3	0.014
			110/1/2	0.024
			110/1/1	0.005
			115/2	0.001
			136	0.015
			135	0.004
			133/5	0.003
			133/4	0.004
			133/3	0.003
			133/2	0.002
			138/2	0.010
			267/3	0.014
			266	0.017
			271/2	0.018
			271/3	0.016
			258	0.029
			331	0.021
			333	0.003
			335	0.003
			338	0.007
			354	0.014
			355	0.044
			357/4	0.022
			356	0.041
			85/2	0.018
			85/1	0.023
			83/3/2	0.004
			65/2	0.014
			52	0.009
			65/2	0.003
			51/2/1	0.018
			54	0.008
			7/1	0.023
			8	0.002
			9/4/3	0.029
			9/2	0.017
			10/2	0.006
			9/1	0.020
		योग	63	0.868

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्रारूप "ख"
[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2093-वा-1-री-रा.-प्र.-क्र-0032-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-लोनारा, प. ह. नं.-20, तहसील भगवानपुरा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	भगवानपुरा	लोनारा/20	64/4	0.013
			64/2	0.039
			64/3	0.018
			65/1	0.023
			65/3	0.017
			62/1/1	0.033
			62/1/2	0.003
			61/1	0.026
			57/1	0.008
			57/2	0.029
			57/2	0.013
			73/3	0.018
			73/2	0.034
			73/2	0.024
			73/1	0.022
			72/3/1	0.019
			75/2	0.017
75/3	0.037			
75/4	0.032			
योग			19	0.425

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्रारूप “ख”
[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 1993-वा-1-री-रा.-प्र.-क्र-0007-2022-23.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगावा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-अनकबाडी, प. ह. नं.-20, तहसील खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. मं.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	भगवानपुरा	अनकबाडी/20	104	0.025
			103/3	0.009
			103/2/3	0.007
			103/2/2	0.008
			103/2/1	0.006
			103/5	0.009
			102/4	0.007
			102/3	0.010
			101/3	0.011
			101/1	0.011
			99/3/1	0.008
			99/3/3	0.020
			99/4	0.010
			116/2/2	0.023
			99/6	0.018
			116/2/3	0.025
			114/1	0.026
			125/5	0.045
			125/1/2	0.033
			126/1/1/3	0.016
126/1/1/1	0.005			
126/1/2	0.023			
127/14	0.004			
127/6/1	0.019			
127/6/2	0.016			
				0.044
			128/5	0.007
			115/1	0.020
			योग	0.465
			28	

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्रारूप “ख”
[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2077-वा-1-री-रा.-प्र.-क्र-0028-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगावा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-कन्नडपुरा, प. ह. नं.-63, तहसील गोगावा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :—

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	गोगावा	कन्नडपुरा/63	3/3	0.032
			4/2	0.031
			4/1	0.014
			4/3	0.016
			5/1	0.018
			5/2	0.017
			11/1/1	0.036
			34/2	0.007
			34/3	0.012
			34/4	0.010
			33/1	0.016
			32	0.046
			37/3	0.002
			37/2/1	0.004
			37/2/2	0.005
			37/2/3	0.006
			38/1	0.014
			38/2	0.016
			46/1	0.033
			49	0.010
44	0.029			
30/1	0.006			
योग			22	0.380

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

प्रारूप "ख"
[नियम 5 का उपनियम (2)]

क्र. 2065-वा-1-री-रा.-प्र.-क्र-0025-2023-24.—अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम-मोहम्मदपुर, तहसील गोगावा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-उदयपुर, प. ह. नं.-26, तहसील गोगावा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.

अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-

जिला	तहसील	ग्राम / प. ह. नं.	खसरा नं.	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
खरगोन	गोगावा	उदयपुर/26	20/2	0.047
			20/3	0.018
			20/1	0.016
			34/4	0.028
			31/4	0.011
			29/3	0.017
			29/2	0.035
			29/1	0.008
			योग	

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

ओम नारायण सिंग, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

विधि और विधायी कार्य वभाग

भोपाल, दिनांक 10 मई 2023

फा.क्र. 1908-1/21-ब(दो), राज्य शासन, एतद्द्वारा इस विभाग के पूर्व आदेश क्र. 1525-अ/21-ब(दो) दिनांक 09.04.2020 को अधिष्ठित करते हुये, अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय नई दिल्ली में निम्नानुसार विधि पदाधिकारियों को एक वर्ष के लिए, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित सेवा शर्तों पर, जो राज्य शासन द्वारा आगे निरंतर की जा सकेगी या बिना कोई कारण बताये तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, निर्धारित निश्चित पारिश्रमिक मात्र पर नियुक्त करता है :-

अतिरिक्त महाधिवक्ता, नई दिल्ली

1.	Mr. Dhirendra Singh Parmar
2.	Mr. Saurabh Mishra
3.	Mr. Joydip Roy
4.	Ms. Ankita Chaudhary.
5.	Nachiketa Joshi

उप महाधिवक्ता, नई दिल्ली

1.	Mr. V.V.V.M.B.N.S. Pattabhiram
2.	Mr. Veer Vikrant Singh
3.	Smt. Anuradha Mishra
4.	Mr. Harmeet Singh Ruprah

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन (14) कानूनी सलाहकार और परिषद् (3428) महाधिवक्ता-01-वेतन-001-अधिकारियों वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा।

फा. क्र. 1908/21-ब(दो), राज्य शासन, एतद् द्वारा इस विभाग के आदेश क्र. 1374 दिनांक 28.03.2023 द्वारा अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय ग्वालियर में नियुक्त श्री यश राज बुंदेला, शासकीय अधिवक्ता (सम्बद्ध नई दिल्ली) को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करते, उनके स्थान पर श्री प्रमोद ठाकरे, अधिवक्ता (2380/1996), को अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय ग्वालियर में शासकीय अधिवक्ता के पद पर नियुक्ति दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये, जो राज्य शासन द्वारा आगे निरंतर की जा सकेगी या बिना कोई कारण बताये तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित सेवा शर्तों के अधीन नियुक्त करते हुये, श्री प्रमोद ठाकरे, शासकीय अधिवक्ता ग्वालियर को महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर में सम्बद्ध करता है।

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन (14) कानूनी सलाहकार और परिषद् (3428) महाधिवक्ता-01-वेतन-001-अधिकारियों वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा।

F.No. 2206/21-B(1)/2023,- In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No.4 of 2009), the State Government, in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in this department's Notification F.No. 17(E) 43-2009-2251-XXI-B(I) /13, dated 10th May, 2013 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 24th May, 2013, Namely:-

AMENDMENT

In the said notification, in the table, for serial numbers 5, 13, 27, 28, 33, 42, 62, 75, 83, and 86 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :-

TABLE

S.No	Name of Nyayadhikari	Place of Posting	Name of Civil District	Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level	Name of Headquarter of Gram Nyayalaya
(1)	(2)	(3)	(4)		
“5.	Shri Akhilesh Chandak, IV th Civil Judge Junior Division, Ashoknagar.	Ashoknagar	Ashoknagar	Ashoknagar	Ashoknagar
13.	Shri Nitendra Singh Tomar, XXII Civil Judge Senior Division, Bhopal	Bhopal	Bhopal	Bhopal	Bhopal
27.	Shri Narendra Kumar Bhandari, I Civil Judge Senior Division, Mnawar (Dhar)	Mnawar (Dhar)	Mnawar (Dhar)	Mnawar (Dhar)	Mnawar (Dhar)
28.	Shri Utkarsh Raj Soni, III Civil Judge Junior Division, Dindori	Dindori	Dindori	Dindori	Dindori
33.	Shri Ashish Kumar Keshrwani, III Civil Judge Senior Division, Dabra (Gwalior)	Dabra	Gwalior	Dabra	Dabra
42.	Shri Nadeem Javed Khan, VII Civil Judge Junior Division, Katni	Katni	Katni	Katni	Katni

F.No. 1909/21-B(II)/2023. In supersession of this department's order no. 2828/21-B(II)/2020 dated 9th April, 2020 and order no. 1711/1423/21-B(II)/2021 dated 7th April, 2021, the State Government is hereby pleased to appoint Smt. Mrinal Elkar Mazumdar, Advocate Supreme Court New Delhi, Sh. Pashupati Nath Razdan, Advocate Supreme Court New Delhi, Sh. Sunny Choudhary, Advocate Supreme Court New Delhi and Sh. Yashraj Singh Budela, Government Advocate Hon'ble High Court of Gwalior as Standing Counsel for the State of Madhya Pradesh to represent the state in the Supreme Court of India, other Courts, Tribunals & Forums at New Delhi from the date of this order. Their appointment can be terminated by the State Government any time without assigning any reason. Terms & conditions of his appointment shall be as per this department's order No. 1(A)7/2005/21-B(II), Dated 4th July, 2012. The expenditure on this account will be debited to Grant 29-2014-Administration of Justice-(114)-Legal Advisors and Counsel (6251)-Fees and other payments to Advocates of the High Court/Supreme Court (31)-Payment of Professional Services (003)-Fees to pleader.

भोपाल, दिनांक 11 मई 2023

फा.क्रमांक 2136/इक्कीस-ब(एक)/2023, मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय नियम, 2012 (क्रमांक 8 सन्2012) के नियम 8 के उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 17(ई)8-2012/ इक्कीस-ब(एक)- 3317-2021, दिनांक 3 सितम्बर, 2021 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 10 सितम्बर, 2021 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुक्रमांक 1 तथा 3 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

सारणी

क्रं.	प्राधिकृत अधिकारी के नाम	मुख्यालय का स्थान	क्षेत्राधिकार
"1.	श्री पंकज कुमार जैन, बीसवे जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश	विशेष न्यायालय क्रमांक 1, भोपाल	राजस्व जिला विदिशा, बैतूल, नर्मदापुरम एवं हरदा को समाविष्ट करने वाला क्षेत्र
3.	श्री यशवंत मालवीय, चौबीसवे जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश	विशेष न्यायालय क्रमांक 1, जबलपुर	सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, सतना, उमरिया, डिंडोरी, शहडोल और अनूपपुर।"।

F.No-2136/21-B(1)/2023- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of rule 8 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalya Adhiniyam, 2012, the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in this department's Notification No. F.No. 17(E)8-2012-/XXI-B(One)3317-2021, dated 3rd September, 2021 which was published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra-Ordinary) dated 10th September, 2021, namely:

(Amendment)

In the said Notification, for serial number 1 and 3 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

TABLE

S. No	Name of Authorized Officer	Place of Headquarter	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)
“1.	Shri Pankaj Kumar Jain, XX th District and Additional Sessions Judge	Special Court No. 1, Bhopal	Area comprising of Revenue Districts Vidisha, Betul, Narmadapuram & Harda
3	Shri Yashwant Malviya, XXIV th District and Additional Sessions Judge	Special Court No. 1, Jabalpur	Sagar, Damoh, Panna, Chhatarpur, Tikamgarh, Satna, Umaria, Dindori, Shahdol and Anuppur.”.

फा.क्रमांक 2138 / 21-ब(एक) / 2023,- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब(1) 3476-2013, दिनांक 11 सितम्बर, 2013, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-एक में दिनांक 20 सितम्बर, 2013 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 1, 2 तथा 3 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

सारणी

क्र.	जिले का नाम	विशेष न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम
(1)	(2)	(3)
1	छतरपुर	श्री महरबान सिंह मीना, छठवे जिला एवं अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर
2	मंडला	श्री बृजेश गोयल, पांचवे जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मंडला
3	मंडलेश्वर	श्री शमरोज खान, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम एवं प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश के न्यायालय से प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मंडलेश्वर ।

2. ये संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होंगे जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें।

F-No. 2138/21(B-I)/2023,-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the state Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this department's notification F-No. B(1)3476-2013, dated 11th September, 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 20th September, 2013, Namely:-

AMENDMENT

In the said notification, in the table, for serial number 1, 2 and 3 and entries relating thereto, the following serial numbers and entry relating thereto shall be substituted, namely:-

TABLE

S.No.	Name of District	Name and Designation of Special Judge
(1)	(2)	(3)
1.	Chhatarpur	Shri Naresh Meharbaan Singh Meena, VI District & Additional Sessions Judge, Chhatarpur
2	Mandla	Shri Brajesh Goyal, V th District and Additional Sessions Judge, Mandla.
3	Mandleshwar	Shri Shamroz Khan, Special Judge Sc/St (P.A.) Act & I Additional Judge to the Court of I District and Additional Sessions Judge, Mandleshwar.

2. These amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

फा.क्रमांक 2139/21-ब(एक)/2023,- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब(1) 3476-2013, दिनांक 11 सितम्बर, 2013, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-एक में दिनांक 20 सितम्बर, 2013 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 19, 26 तथा 39 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

सारणी

क्रं.	जिले का नाम	विशेष न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम
(1)	(2)	(3)
19.	झाबुआ	श्री विवेक सिंह रघुवंशी, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, और प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, झाबुआ न्यायालय, के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश
26.	पन्ना	श्री इंद्रजीत रघुवंशी, द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पन्ना
39.	सीधी	श्री मुकेश कुमार, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सीधी।।

2. ये संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होंगे जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें।

F-No. 2139/21(B-I)/2023,-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the state Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this department's notification F-No. B(1)3476-2013, dated 11th September, 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 20th September, 2013, Namely:-

AMENDMENT

In the said notification, in the table, for serial number 19, 26 and 39 and entries relating thereto, the following serial numbers and entry relating thereto shall be substituted, namely:-

— TABLE

S.No.	Name of District	Name and Designation of Special Judge
(1)	(2)	(3)
“19.	Jhabua	Shri Vivek Singh Raghuwanshi, Special Judge, Scheduled Castes, Secheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act and I st Additional Judge to the Court of I ST District and Additional Sessions Judge, Jhabua.
26.	Panna	Shri Indrajeet Raghuwanshi , II nd District and Additional Sessions Judge, Panna
39.	Sidhi	Shri Mukesh Kumar, I st District and Additional Sessions Judge, Sidhi.”.

2. These amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

फा.क्रमांक 2158/21-ब(एक)/2023,— राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. कमांक ब(1) 3476-2013, दिनांक 11 सितम्बर, 2013, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-एक में दिनांक 20 सितम्बर, 2013 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 24 तथा 44 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

सारणी

क्रं.	जिले का नाम	विशेष न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम
(1)	(2)	(3)
“24.	नरसिंहपुर	श्री युगल रघुवंशी, द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर
44.	उज्जैन	श्री अभिषेक नागराज, तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, उज्जैन।”।

2. ये संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होंगे जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें।

F-No. 2158/21(B-I)/2023,-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the state Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this department's notification F-No. B(1)3476-2013, dated 11th September, 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 20th September, 2013, Namely:-

AMENDMENT

In the said notification, in the table, for serial number 24 and 44 and entries relating thereto, the following serial numbers and entry relating thereto shall be substituted, namely:-

TABLE

S.No.	Name of District	Name and Designation of Special Judge
(1)	(2)	(3)
"24.	Narsinghpur	Shri Yugal Raghuwanshi, , II nd District and Additional Sessions Judge, Narsinghpur.
44.	Ujjain	Shri Abhishek Nagraj , III rd District and Additional Sessions Judge, Ujjain.

2. These amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

फा.क्र. 2195/21-ब(एक) 2023, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का सं.49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, और इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा. क्रमांक 1/5/96/21-ब(एक) 2051/2016, दिनांक 06 जून, 2016 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 17 जून, 2016 को प्रकाशित हुई थी, को आंशिक अतिरिक्त करते हुए तथा 1/5/96/21-ब(एक) 2252/2020, दिनांक 31 अगस्त, 2020 मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में 11 सितम्बर, 2020 को प्रकाशित हुई थी, को अतिरिक्त करते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश को उसके कॉलम (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट संबंधित क्षेत्र के लिए विशेष न्यायाधीश श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, बीसवें अपर सेशन न्यायाधीश, भोपाल के स्थान पर भ्रष्टाचारा निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अपराधों के एवं उन अपराधों का विचारण हेतु जिनका अन्वेषण दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का सं.25) के अधीन किया गया हो एवं जो विनिर्दिष्ट रूप से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर अथवा संबंधित जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा उन्हें सौंपे गये हो, विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है, अर्थात्:-

सारणी

अनुक्र मांक	न्यायाधीश का नाम	मुख्यालय का नाम	विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)	(4)
"1	श्री धर्मेश भट्ट, चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भोपाल	भोपाल	भोपाल, सीहोर, रायसेन, ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी, दतिया, टीकमगढ़, विदिशा, छतरपुर, बैतूल, नर्मदापुरम, गुना, राजगढ़, हरदा, श्योपुर एवं अशोकनगर."

F.N. 2195/XXI-B(one)/2023, In exercise of the powers conferred by sub-section (1) section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988) and in partial supersession of this departments Notification No. 1/5/96/21-B(1)/2051/2016, dated 06th June, 2016, which was published in the Madhya Pradesh gazette Part-1 dated 17th June 2016 & in supersession of this departments Notification No. 1/5/96/21-B(1)/2252/2020, dated 31st August, 2020, which was published in the Madhya Pradesh gazette Part-1 dated 11th September, 2020, the State Government,

with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, appoints the Additional Sessions Judge specified in column (2) of the table below to be the Special Judge for respective area specified in the corresponding entry in column (3) thereof in place of Shri Rajendra Kumar Sharma, XXth Additional Sessions Judge, Bhopal to try the cases relating to the offences specified under sub-section (1) of section 3 of the said Act and those investigated under the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (No. 25 of 1946) by the Delhi Police and the Central Bureau of Investigation and which are specifically assigned to them by the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur or by the District and Sessions Judge of the Concerned District, as the case may be.

TABLE

S. No.	Name of Judge	Head Quarter	Jurisdiction of Special Court
(1)	(2)	(3)	(4)
"1.	Shri Dharmesh Bhatt, IV th District & Additional Sessions Judge, Bhopal	Bhopal	Bhopal, Sehore, Raisen, Gwalior, Bhind, Morena, Shivpuri, Datia, Tikamgarh, Vidisha, Chhatarpur, Betul, Narmadapuram, Guna, Rajgarh, Harda, Sheopur and Ashoknagar."

फा. क्रमांक 2196 /21-ब(एक)/2023, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद् द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई) 83-03-इक्कीस-ब(एक)-5846-2018, दिनांक 7 दिसम्बर, 2018, जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 21 दिसंबर 2018 में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 24, 25 तथा 26 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत क्षेत्र के अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)
"24.	दमोह	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, दमोह	सिविल जिला दमोह का समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 26 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)
25.	दमोह	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, दमोह	(अनुक्रमांक 24 में दर्शित विशेष न्यायालय में तेदुखेडा एवं पथरिया का विद्युत क्षेत्र सम्मिलित किया जा रहा है।)
26.	दमोह	अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, हटा	हटा का विद्युत क्षेत्र ।"

F. No. 2196/21-B(One)/2023 In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 17(E)83/03/XXI-B(1)/5846/2018 dated 7th December, 2018, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-I dated 21st December, 2018, namely :-

Amendment

In the said Notification, in the table, for serial number 24, 25 and 26 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely :-

TABLE

S.No	Name of Civil District	Name of Special Court	Territorial jurisdiction of the Special Court (According to Electricity Area)
(1)	(2)	(3)	(4)
"24.	Damoh	Additional Sessions Judge, Damoh	All Electricity Area of Civil District Damoh (excluding the territorial jurisdiction given at serial no. 26)
25.	Damoh	Additional Sessions Judge, Damoh	Electricity Area of Tendukheda and Patharia is being included in the Special Court shown at Serial No. 24
26.	Damoh	Additional Sessions Judge, Hatta	Electricity Area of Hatta."

फा. क्रमांक 2206/21-ब(एक)/2023, ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा.क्रमांक 17(ई) 43-2009-2251-इक्कीस-ब(एक)/13, दिनांक 10 मई, 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 24 मई 2013 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में अनुक्रमांक 5, 13, 27, 28, 33, 42, 62, 69, 75, 83 तथा 86 एवं उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

सारणी

क्र.	न्यायाधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थल	सिविल जिले का नाम	मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
"5.	श्री अखिलेश चांडक, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, अशोकनगर	अशोकनगर	अशोकनगर	अशोकनगर	अशोकनगर

क्र.	न्यायाधिकारी का नाम	पदस्थापना का स्थल	सिविल जिले का नाम	मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
13.	श्री नितेन्द्र सिंह तोमर, बारहवे व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, भोपाल	भोपाल	भोपाल	भोपाल	भोपाल
27.	श्री नरेन्द्र कुमार भण्डारी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, मनावर (धार)	मनावर	धार	मनावर	मनावर
28.	श्री उत्कर्ष राज सोनी, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, डिण्डोरी	डिण्डोरी	डिण्डोरी	डिण्डोरी	डिण्डोरी
33	श्री आशीष कुमार केशरवानी, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, डबरा (ग्वालियर)	डबरा	ग्वालियर	डबरा	डबरा
42.	श्री नदीम जावेद खान, सातवे व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, कटनी	कटनी	कटनी	कटनी	कटनी
62.	श्री विश्व दीपक तिवारी, सातवे व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, सतना	सतना	सतना	सतना	सतना
69.	श्रीमती प्रगती मित्रा सनमोरिया, व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, जयसिंहनगर, शहडोल	जयसिंहनगर	शहडोल	जयसिंहनगर	जयसिंहनगर
75.	श्री दीपक कुमार अग्रवाल, व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, मझौली (सीधी)	सीधी	सीधी	सीधी	सीधी
83.	श्री विजय कुमार पाण्डेय (जू.) तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, विदिशा	विदिशा	विदिशा	विदिशा	विदिशा
86.	श्री राकेश भिडे, व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, भीकनगांव (मण्डलेश्वर)	भीकनगांव	मण्डलेश्वर	भीकनगांव	भीकनगांव

F.No. 2206/21-B(1)/2023,- In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No.4 of 2009), the State Government, in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in this department's Notification F.No. 17(E) 43-2009-2251-XXI-B(I) /13, dated 10th May, 2013 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 24th May, 2013, Namely:-

AMENDMENT

In the said notification, in the table, for serial numbers 5, 13, 27, 28, 33, 42, 62, 75, 83, and 86 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :-

TABLE

S.No	Name of Nyayadhikari	Place of Posting	Name of Civil District	Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level	Name of Headquarter of Gram Nyayalaya
(1)	(2)	(3)	(4)		
“5.	Shri Akhilesh Chandak, IV th Civil Judge Junior Division, Ashoknagar.	Ashoknagar	Ashoknagar	Ashoknagar	Ashoknagar
13.	Shri Nitendra Singh Tomar, XXII Civil Judge Senior Division, Bhopal	Bhopal	Bhopal	Bhopal	Bhopal
27.	Shri Narendra Kumar Bhandari, I Civil Judge Senior Division, Mnawar (Dhar)	Mnawar (Dhar)	Mnawar (Dhar)	Mnawar (Dhar)	Mnawar (Dhar)
28.	Shri Utkarsh Raj Soni, III Civil Judge Junior Division, Dindori	Dindori	Dindori	Dindori	Dindori
33.	Shri Ashish Kumar Keshrwani, III Civil Judge Senior Division, Dabra (Gwalior)	Dabra	Gwalior	Dabra	Dabra
42.	Shri Nadeem Javed Khan, VII Civil Judge Junior Division, Katni	Katni	Katni	Katni	Katni

(1)	(2)	(3)	(4)		
62.	Shri Bishwa Deepak Tiwari, VII Civil Judge Senior Division, Satna	Satna	Satna	Satna	Satna
69.	Smt. Pragati Mitra Sunmoriya, Civil Judge Senior Division, Jaisinghnagar Shahdol	Jaisinghnagar	Shahdol	Jaisinghnagar	Jaisinghnagar
75.	Shri Deepak Kumar Agrawal, Civil Judge Senior Division, Majholi (Sidhi)	Sidhi	Sidhi	Sidhi	Sidhi
83.	Shri Vijay Kumar Pandey (Jr.) III rd Civil Judge Senior Division, Vidisha	Vidisha	Vidisha	Vidisha	Vidisha
86.	Shri Rakesh Bhide, Civil Judge Junior Division, Bhikangaon (Mandleshwar)	Bhikangaon	Mandleshwar	Bhikangaon	Bhikangaon

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

प. क्र. 2978-भू-अर्जन-2023

राजगढ़, दिनांक 31 मार्च 2023

-: अनुसूची - 1 :-

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 0001/अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची में भूमि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 0001/अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 2 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम प्रतापपुरा के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित छूटी हुई शेष भूमि जिसका नामवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

-: अनुसूची - 2 :-

पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम प्रतापपुरा की छूटी हुई शेष भूमि के अर्जन का विवरण

तहसील-नरसिंहगढ़

जिला-राजगढ़

(1) भूमि :-				
स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हे. में)	अर्जित भूमि (हे.में)
1	2	3	4	5
1	चेनसिंह पिता माधोसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	13/1	0.732	0.732
	योग -	1	0.732	0.732
2	लाखनसिंह पिता माधोसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	13/2	0.355	0.355
	योग -	1	0.355	0.355
	महायोग -		1.087	1.087

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प. क्र. 2980-भू-अर्जन-2023

-: अनुसूची - 1 :-

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 0005/अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची में भूमि/मकान/शोचालय आदि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 0005/अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 2 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम गेंहूखेड़ी कलां के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित छूटी हुई शेष भूमि/मकान/शोचालय आदि जिसका नामवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि, मकानों, शोचालय आदि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

-: अनुसूची - 2 :-

पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम गेंहूखेड़ी कलां की छूटी हुई शेष भूमि, मकानों एवं शोचालय आदि के अर्जन का विवरण

तहसील-नरसिंहगढ़

जिला-राजगढ़

(1) भूमि :-				
स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हे.में)	अर्जित भूमि (हे.में)
1	2	3	4	5
1	कालूराम पिता बक्सू जाति चमार पता नि.ग्राम भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय	176/1/6	0.400	0.400
	योग -	1	0.400	0.400
2	इस्मालखॉ पिता कालूखॉ जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	176/3	1.265	0.232
	योग -	1	1.265	0.232
3	इब्राहिमखा पिता इस्माइलखॉ जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	201/176/1	0.569	0.569
	योग -	1	0.569	0.569
4	हबीबखॉ पिता ईसब खॉ जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	201/176/2	0.420	0.420
		203/176/2	0.101	0.101
	योग -	2	0.521	0.521
5	दलशेरखॉ पिता इसवरखॉ जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	201/176/3	0.402	0.402
		203/176/1	0.101	0.101
		204/176/2	0.093	0.093
	योग -	3	0.596	0.596
6	साबूधीन खॉ पिता इस्माइलखॉ हि. 1/5, इब्राहिम खॉ पिता इस्माइलखॉ हि. 1/5, अमीनाबी पुत्री इस्माइलखॉ हि. 1/5, जरीनाबी पुत्री इस्माइलखॉ हि. 1/5, हलीमनबी बेवा इस्माइलखॉ हि. 1/5 जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	204/176/1	1.109	1.109
	योग -	1	1.109	1.109
	महायोग :-	9	4.460	3.427

भूमि, मकान एवं शोचालय आदि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प. क्र. 2981-भू-अर्जन-2023

-: अनुसूची - 1 :-

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 006/अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची में भूमि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 006/अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 2 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम शिवपुरा जागीर के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित छूटी हुई शेष भूमि जिसका नामवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

-: अनुसूची - 2 :-

पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम शिवपुरा जागीर की छूटी हुई शेष भूमि के अर्जन का विवरण

तहसील-नरसिंहगढ़

जिला-राजगढ़

(1) भूमि :-				
स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हे. में)	अर्जित भूमि (हे.में)
1	2	3	4	5
1	अनीसखां पिता उमरखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	89/2	0.063	0.013
	योग -	1	0.063	0.013
2	शहीदखां पिता नसीरखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	105/1	0.057	0.057
	योग -	1	0.057	0.057
3	इस्लाम पिता अजीजखां हि. 1/4, सलाउददीन पिता अजीजखां हि. 1/4, सलमा पिता अजीजखां हि. 1/4, मल्लीबी बेवा अजीजखां हि. 1/4 जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	105/2	0.057	0.057
	योग -	1	0.057	0.057
4	बहीदखां पिता घीसेखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	106	0.025	0.025
	योग -	1	0.025	0.025
5	हबीब पिता नसीर जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	109/1	0.212	0.212
	योग -	1	0.212	0.212
6	रहीमखां पिता भोलेखां हि. 1/4, हबीबखां पिता भोलेखां हि. 1/4, जेतुनबी पिता भोलेखां हि. 1/4, शेतानबी पिता भोलेखां हि. 1/4 जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	110/1	0.028	0.028
	योग -	1	0.028	0.028

7	नफीसनबी शरीफखां हि. 1/5, फरीदखां शरीफखां हि. 1/5, मुबीनखान शरीफखां हि. 1/5, खुशींदखान शरीफखां हि. 1/5, फरीबादी शरीफखां हि. 1/5 जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	111/2	0.114	0.114
	योग -	1	0.114	0.114
8	दौलतखां कल्लूखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	112/1	0.044	0.044
	योग -	1	0.044	0.044
9	सेफुउददिन पिता इज्जतखां हि. 1/5, ताजउददीन पिता इज्जतखां हि. 1/5, आजादउददीन पिता इज्जतखां हि. 1/5, सफरुउददीन पिता इज्जतखां हि. 1/5, मजरुनबी बेवा इज्जतखां हि. 1/5 जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	112/2	0.045	0.045
	योग -	1	0.045	0.045
10	जलील खां पिता मोतीखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	113/1	0.017	0.017
		114/1	0.033	0.033
	योग -	2	0.050	0.050
11	दाउदखां पिता अब्दुल हमीदखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	113/2	0.017	0.017
		114/2	0.034	0.034
		115	0.013	0.013
		116	0.013	0.013
	योग -	4	0.077	0.077
12	रहीमखां, अयूबखां, शाकिरखां, आकिलखां, जामीलखां, जेतूनबी, जरीनाबी, सन्नोबी, भूरीबी पिता वाहिदखां, खातूनबी बेवा वाहिदखां, आमिनखां, हासिमखां, सलमानखां, नसीमबी पिता अब्दुल्लाखां, नन्नीबी बेवा अब्दुल्लाखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	113/3	0.017	0.017
		114/3	0.034	0.034
	योग -	2	0.051	0.051
13	आनीसखां पिता आमानतखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	212	0.063	0.063
	योग -	1	0.063	0.063
14	मुन्नाखां पिता कालेखां जाति मेवाती पता नि.ग्राम भूमि स्वामी	215/3/1	0.699	0.446
	योग -	1	0.699	0.446
	महायोग -	19	1.585	1.282

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प. क्र. 2982-भू-अर्जन-2023

-: अनुसूची - 1 :-

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक ~~9003~~⁹⁰⁰³/अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची में भूमि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक ~~9003~~⁹⁰⁰³/अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 2 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम बरोड़ी के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित छूटी हुई शेष भूमि जिसका नामवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

-: अनुसूची - 2 :-

पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम बरोड़ी की छूटी हुई शेष भूमि के अर्जन का विवरण

तहसील-नरसिंहगढ़

जिला-राजगढ़

(1) भूमि :-				
स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हे.में)	अर्जित भूमि (हे.में)
1	2	3	4	5
1	जशोदाबाई बेवा घनश्याम, सरजनसिंह जितेन्द्र विनोद पिता घनश्याम, अरुण अवधनारायण ना बा पिता घनश्याम संरक्षक जितेन्द्र, अयोध्याबाई पपीताबाई राधाबाई पिता घनश्याम, जशोदाबाई पति घनश्याम जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	11/1/7	0.506	0.253
	योग -	1	0.506	0.253
2	विक्रमसिंह पिता हजारी जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	71/1/1	1.494	1.350
	योग -	1	1.494	1.350
3	केशरसिंह पिता रामचन्द्र जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	121/2/3	0.047	0.015
	योग -	1	0.047	0.015
4	पवन पिता नवलसिंह जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	121/2/4	0.047	0.022
	योग -	1	0.047	0.022

5	सिद्धिबाई पिता हरचंद जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	123/1/1	0.379	0.100
	योग -	1	0.379	0.100
	महायोग -	5	2.473	1.740

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प. क्र. 2983-भू-अर्जन-2023

-: अनुसूची - 1 :-

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 0004/अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची में भूमि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 0004/अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 2 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम सेवांस जागीर के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित छूटी हुई शेष भूमि जिसका नामवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

-: अनुसूची - 2 :-

पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम सेवांस जागीर की छूटी हुई शेष भूमि के अर्जन का विवरण

तहसील-नरसिंहगढ़

जिला-राजगढ़

(1) भूमि :-				
स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हे. में)	अर्जित भूमि (हे.में)
1	2	3	4	5
1	मोजीलाल पिता जुगलकिशोर जाति बृजा हि. 1/2, राजलबाई पत्नि मोजीलाल जाति बृजा हि. 1/2 पता नि. ग्रा भूस्वामी	25/1/1	0.417	0.417
	योग -	1	0.417	0.417
2	यासीनखां पिता गफुरखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	25/2/2	0.751	0.751
	योग -	1	0.751	0.751
3	नबीबाई पुत्री कास्या पति जयराम जाति बृजा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	25/7/2	0.632	0.120
	योग -	1	0.632	0.120
4	भेरुसिंह पिता नन्तूलाल जाति घोसी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	53/1/2/3	0.222	0.100
	योग -	1	0.222	0.100
	महायोग -	4	2.022	1.388

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प. क्र. 2984-भू-अर्जन-2023

-: अनुसूची - 1 :-

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 0002/अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची में भूमि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 0002/अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 2 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के ग्राम भेरुपुरा के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित छूटी हुई शेष भूमि जिसका नामवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

-: अनुसूची - 2 :-

पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम भेरुपुरा की छूटी हुई शेष भूमि के अर्जन का विवरण

तहसील-नरसिंहगढ़

जिला-राजगढ़

(1) भूमि :-				
स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा (हे. में)	अर्जित भूमि (हे.में)
1	2	3	4	5
1	गेन्दकुंवरबाई रामकुंवर बाई शांताकुंवरबाई पुत्री तेजसिंह, लखतसिंह भंवरलाल रघुवीरसिंह सुमेरसिंह हेमसिंह पिता तेजसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	25/1	0.189	0.189
	योग -	1	0.189	0.189
2	बनेसिंह पिता बल्देवसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	25/2	0.190	0.190
	योग -	1	0.190	0.190
	महायोग -		0.379	0.379

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

हर्ष दीक्षित, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र. 243-भू-अर्जन-2023

पन्ना, दिनांक 24 अप्रैल 2023

प्रकरण क्रमांक 10/अ-82 वर्ष 2022-23 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन:-

- (क) जिला - पन्ना
(ख) तहसील- पन्ना
(ग) ग्राम - डोंडी
(घ) क्षेत्रफल- 44.560 हेक्टेयर,

क्रमांक	खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकवा हेक्टेयर में	भूमि का प्रकार
1	2	3	4
1	3	0.520	निजी भूमि
2	5	0.110	निजी भूमि
3	17	0.060	निजी भूमि
4	19	0.330	निजी भूमि
5	6	0.480	निजी भूमि
6	7/1	0.540	निजी भूमि
7	7/2	0.210	निजी भूमि
8	9	0.620	निजी भूमि
9	10	0.500	निजी भूमि
10	11	1.500	निजी भूमि
11	12	0.070	निजी भूमि
12	41	0.100	निजी भूमि
13	13	0.230	निजी भूमि
14	27	0.100	निजी भूमि
15	34	0.930	निजी भूमि
16	38	0.080	निजी भूमि

17	39	0.070	निजी भूमि
18	14	0.470	निजी भूमि
19	15	0.550	निजी भूमि
20	16	0.570	निजी भूमि
21	51/2	0.160	निजी भूमि
22	52	0.200	निजी भूमि
23	53	0.350	निजी भूमि
24	18	0.430	निजी भूमि
25	26	0.270	निजी भूमि
26	25	0.150	निजी भूमि
27	28	0.110	निजी भूमि
28	29	0.240	निजी भूमि
29	33	0.380	निजी भूमि
30	35	0.410	निजी भूमि
31	36	0.280	निजी भूमि
32	37	0.150	निजी भूमि
33	40	0.050	निजी भूमि
34	42	0.150	निजी भूमि
35	43/2	1.030	निजी भूमि
36	43/1	0.820	निजी भूमि
37	46/1	0.930	निजी भूमि
38	95/2	0.760	निजी भूमि
39	105	0.150	निजी भूमि
40	46/2	0.910	निजी भूमि
41	71	0.590	निजी भूमि
42	106	0.350	निजी भूमि
43	47	0.420	निजी भूमि
44	48	0.200	निजी भूमि
45	98	0.500	निजी भूमि

46	49	1.160	निजी भूमि
47	51/1	1.290	निजी भूमि
48	54	2.000	निजी भूमि
49	56	1.400	निजी भूमि
50	66/3	0.020	निजी भूमि
51	67	0.380	निजी भूमि
52	60	0.820	निजी भूमि
53	94	0.860	निजी भूमि
54	63	0.350	निजी भूमि
55	64	0.650	निजी भूमि
56	91	0.410	निजी भूमि
57	96	0.340	निजी भूमि
58	65	0.510	निजी भूमि
59	107/2	0.100	निजी भूमि
60	66/1	0.400	निजी भूमि
61	66/2	0.330	निजी भूमि
62	72	0.070	निजी भूमि
63	69	0.180	निजी भूमि
64	83	0.610	निजी भूमि
65	99	0.040	निजी भूमि
66	103	0.830	निजी भूमि
67	70	0.050	निजी भूमि
68	74	0.260	निजी भूमि
69	87	0.710	निजी भूमि
70	75	1.630	निजी भूमि
71	79	0.230	निजी भूमि
72	90	0.940	निजी भूमि
73	76	0.890	निजी भूमि
74	77	0.790	निजी भूमि

75	80	0.550	निजी भूमि
76	81	0.660	निजी भूमि
77	82/1	0.460	निजी भूमि
78	93	0.350	निजी भूमि
79	82/2	0.480	निजी भूमि
80	84	1.40	निजी भूमि
81	85	0.580	निजी भूमि
82	95/1	0.180	निजी भूमि
83	108	0.450	निजी भूमि
84	100	0.160	निजी भूमि
85	101	0.360	निजी भूमि
86	102	0.040	निजी भूमि
87	104	0.340	निजी भूमि
88	107/1	0.270	निजी भूमि
89	109	0.700	निजी भूमि
90	110	0.170	निजी भूमि
91	111	1.130	निजी भूमि
योग	91	44.560	

- [2] सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है :- छतरपुर/पन्ना जिले के अन्तर्गत केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना के (दौघन बांध) निर्माण कार्य हेतु डूब क्षेत्र में प्रभावित पी0टी0आर0 कोर क्षेत्र से लगे हुये ग्राम डोंडी तहसील एवं अनुभाग पन्ना की भूमि अर्जन हेतु धारा-19 का प्रकाशन, ग्राम डोंडी तहसील एवं अनुभाग पन्ना।
- [3] भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय कुमार मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

प्र.क्र. 57-अ-82-2020-21-केदारखेड़ा-4158

बैतूल, दिनांक 26 मार्च, 2023

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नंबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची - 2 में वर्णित प्रभावित कृषकों की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हे.में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म.प्र.)	आमला	केदारखेड़ा	0.232	इटार्सी-नागपुर तीसरी रेल लाईन के निर्माण हेतु

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	ख.नं.	कुल रकबा हे.में	अर्जन का रकबा हे.में
1	2	3	4	5
1	नारायण पिता धर्मपाल जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी	105/1	3.691	0.082
2	तुरजी पति गेन्दू जाति अ.जा. सा. देह भूमिस्वामी	104/1	0.024	0.022
3	धनराज पिता बाजी सा. देह भूमिस्वामी	97/1	0.027	0.008
4	जगदीश, सुखदीन, रामदीन पिता गेदू अमरा पुत्री गेदू तुरसा बेवा गेदू अ.जा. सा. देह भूमिस्वामी	36	0.016	0.010
5	कुंवरलाल, चिन्ध्या, धनराज पिता मल्लू अ.जा. सा. देह भूमिस्वामी	37	0.032	0.016
6	दुर्गाप्रसाद, शिवप्रसाद, कृष्णा पिता कलीराम, सोमती बेवा राजेन्द्र, विक्रम, अमित पिता राजेन्द्र, कविता, दीपिका पुत्री राजेन्द्र अ.जा. सा.देह भूमिस्वामी	38	0.032	0.004
7	राजू पिता नंदलाल जाति नाई सा. देह भूमिस्वामी	97/5	0.022	0.002

8	ख्यालीराम पिता नान्हराम कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी	34	0.640	0.020
9	भीमराव, माखन, रामदयाल, राजू पिता गुदडिया अ.जा. सा. देह भूमिस्वामी	35/1	0.075	0.040
10	जैयवंती पुत्री सोनबा, कमलदास, धर्मदास पिता जागो, इन्द्रा, कमलाबाई पुत्री जागो, ओमकार, राजू मधु, उमेश पिता इन्दल, मुन्नीबाई, जयश्री, राजश्री पिता इन्दल, दुर्गाप्रसाद, शिवप्रसाद, कृष्णा पिता कलीराम, ललीता पिता कलीराम, सोमती बेवा राजेन्द्र, विक्रम, अमित पिता राजेन्द्र, कविता, दीपिका पुत्री राजेन्द्र, राजकुमार, राजेश, बसंत पिता बलीराम, रमेश, उमेश, दिनेश पिता मानिकराव, सुशीला, संध्या, रेखा पिता मानिकराव, ओमकार पिता लक्ष्मण, चैतीबाई पुत्री लक्ष्मण, रेखा बेवा दिनेश, देवेन्द्र पिता दिनेश, देविका, देवपरी पिता दिनेश जाति अ.जा. सा. देह	35/2	0.075	0.028

- (2) चूँकि इटार्सी- नागपुर तीसरी रेल लाईन के निर्माण हेतु उपरोक्तानुसार प्रभावित भूमि के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (3) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 4-अ-82-2021-22-मंडईबुजुर्ग-4159

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित प्रभावित कृषको की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हे० में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म०प्र०)	बैतूल	मंडईबुजुर्ग	0.127	सोनाघाटी से जोगली मार्ग के लिए पुल निर्माण हेतु ।

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	ख. नं.	कुल रकबा हे० में	अर्जन का रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	दिनेश कुमार व० प्रेमलाल कुम्हार सा० देह	108 / 1	0.708	0.062
2	शिवलाल व० बोन्दर, सुभद्रिया बेवा बोन्दर सा० देह	309 / 4	0.870	0.065
योग		02	1.578	0.127

- (2) चूंकि सोनाघाटी से जोगली मार्ग के लिए पुल निर्माण हेतु उपरोक्तानुसार प्रभावित भूमि के अर्जन से हितवद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अमनबीर सिंह बैस, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

क्र. 3133-जि.भू.अ.-2023

सिवनी, दिनांक 28 अप्रैल 2023

क्रमांक/ 3/33 /जि.भू.अ./2023

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (14) में उल्लेखित वर्णित भूमि की भीमकुण्डी जलाशय परियोजना अंतर्गत बांध एवं मुख्य नहर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार एतद द्वारा सभी सम्बंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन सभाग क्रं0 1 सिवनी जिला सिवनी से संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 के अंतर्गत सिंचाई परियोजना की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होंगे, उपरोक्त के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार भोपाल द्वारा दिनांक 17/4/2015 की स्वीकृति दी गई है। अतः अधिनियम की धारा 11 (3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

- | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 01. ग्राम का नाम | :- सुकरी | ब.नं.:-747 | प.ह.न.-2 |
| 02. रा.नि.मं. | :- चमारी खुर्द | तहसील:- छपारा | जिला - सिवनी |
| 03. अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल | :- 19.58 हेक्टेयर | | |

क्रं.	सर्वेक्षण सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र हे० में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता	सीमाएं				वृक्ष		संरचनाएं	
						उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम	किस्म	संख्या	प्रकार	स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	64	भूमिस्वामी	कृषि	0.65	हज्जू पुत्र धूधा अहीर दिवरसी नकलसी पुत्र हजारी हेमोबाई बेबा रुसलाल अशोक सहेश अरुणाबाई पि० रुसलाल अहीर कुसुमबती रुसबती पुत्री बजारी पप्पू पुत्र हीरामन राकेश पि० रुसलाल जाति अहीर नि० सुकरी भूमिस्वामी	भू जल पानी के नीचे	भागलाल पिता समरलाल	भू जल पानी के नीचे	भू जल पानी के नीचे	-	-	-	-

2	65	भूमिस्वामी	कृषि	1.16	भागलाल पुत्र समरलाल मोहनवती बेवा मंगलसी झिनलाल झिनियाबाई पुनियाबाई मानियाबाई मुनियाबाई पि० मंगलसी जाति गोंड निवासी छपारा भूमिस्वामी	हज्जु पि० धुंधा	हज्जु पि० धुंधा	खितियाबाई ध.प.स्व. सूरन	खेलसिंह पि० बिसन	भू जल पानी के नीचे	-	-	-	-
3	66	भूमिस्वामी	कृषि	0.97	खितिया ध.प.स्व.सूरन भंगी रंगी जंगी रंगलाल रमनवती पि० सूरन मु. असुदया ध.प.स्व. सुरेशी सोमजी शांतीबाई सोमती पि० पूरन मु. कपसी ध.प. स्व. पूरन जाति गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भागलाल पिता समरलाल	चरागाह घास	धनाराम पिता बैसाखू	बकरू पिता चंदरसी	सांगौन खिलमा	2	5	-	-
4	79	भूमिस्वामी	कृषि	0.16	खितिया ध.प.स्व. पूरन	खितिया ध.प.स्व. पूरन	खितिया ध.प.स्व. पूरन	किशनलाल पिता नन्हलाल	परसू पिता तीरू	-	-	-	-	-
5	67	भूमिस्वामी	कृषि	0.15	नैनसिंग, बालसिंग जनो जन्ना जनिया पि० रम्मा नन्हड भीकम नैनसा बुधिया गुलझर ज्वारो ब्रम्हानसो पि० नत्थू महावती ध.प.स्व. ब्रम्हा सुरेश संतोषी पि० ब्रम्हा गोंड भजनलाल सजनलाल सजनवती भजनवती पिता अनारी हलियाबाई बेबा अनारी निवासी सुकरी भूमिस्वामी	नैनसिंग पिता रम्मा	नैनसिंग पिता रम्मा	नैनसिंग पिता रम्मा	नैनसिंग पिता रम्मा	-	-	-	-	-
6	62	भूमिस्वामी	कृषि	0.11	धनाराम पिता बैसाखू	नैनसिंग पिता रम्मा	नैनसिंग पिता रम्मा	धनाराम पिता बैसाखू	-	-	-	-	-	-
7	63/1	भूमिस्वामी	कृषि	1.41	धेलसिंह पिता बिसन जंगलोबाई पिता हरिराम जाति गोंड नि० सुकरी भूमिस्वामी	हज्जु पिता धुंधा	धनाराम पिता बैसाखू	प्यारीबाई पुत्री कच्छेदी	भागलाल पिता समरलाल	-	-	-	-	-
8	63/2	भूमिस्वामी	कृषि	1.20	धनाराम मु. धन्ना धनोती मनोती मनिया मानवती पि० बैसाखू विसनिया पि० सउवा द्रोपसी सुरोप पिता मित्तूलाल जाति गोंड नि० सुकरी भूमिस्वामी	धेलसिंह पिता बिसन	नैनसिंग पिता रम्मा	धनाराम पिता बैसाखू	खिजिया ध.प.स्व. पूरन	सांगौन खिलमा महुआ	5	5	1	-
9	58/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	प्यारीबाई पुत्री कच्छेदी जाति गोंड नि० सिवनी भूमिस्वामी	भू जल पानी के नीचे	जानलाल पिता ठाकुरदास	धनाराम पि० बैसाखू	धेलसिंह पिता बिसन	-	-	-	-	-

10	83/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.14	मु. गोमती बे. सोहनलाल लखन लखनवती बा. रामलाल ना.बा. पि० सोहनलाल वली मां गोमती जाति गोड नि० सुकरी भूमिस्वामी	भू जल पानी के नीचे	प्यारीबाई पिता कन्छेदी	प्यारीबाई पिता कन्छेदी	प्यारीबाई पिता कन्छेदी	सागौन	2	-	-
11	86	भूमिस्वामी	कृषि	0.57	खिचरो बेवा तुलसी जाति गोंड नि० सिवनी भूमिस्वामी	सकरू पिता चंदरसी	चरागाह घास	चरागाह घास	शंकर पिता सकाराम	सागौन	1	कच्चा कुआं नग	-
12	87/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.35	बकरू पिता चंदरसी जाति गोड नि. ग्राम भूमिस्वामी	सकरू पिता चंदरसी	मु० गोमती बेबा सोहनलाल	शंकर पिता सकाराम	भूजल पानी के नीचे	-	-	कच्चा कुआं नग	-
13	87/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.23		भू जल पानी के नीचे	खिचरो बेवा तुलसी	भागलाल पिता समरलाल	सकरू पिता चंदरसी	-	-	-	-
14	107/3	भूमिस्वामी	कृषि	0.75		शंकर पिता सकाराम	भू जल पानी के नीचे	भू जल पानी के नीचे	सकरू पिता चंदरसी	सागौन	2	कच्चा कुआं नग	-
15	107/4	भूमिस्वामी	कृषि	0.07		सकरू पिता चंदरसी जाति गोड नि० ग्राम भूमिस्वामी	बकरू पिता चंदरसी	भू जल पानी के नीचे	भू जल पानी के नीचे	भू जल पानी के नीचे	-	-	-
16	87/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.75	शंकर पिता सकाराम हिा बेबा सकाराम शंकरिया पुत्री सकाराम जाति गोड नि० सुकरी भूमिस्वामी	भू जल पानी के नीचे	शंकर पिता सकाराम	खिचरो बेवा तुलसी	बकरू पिता चंदरसी	सागौन	1	बोर नग	-
17	107/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.48		वन भूमि	बकरू पिता चंदरसी	शंकर पिता सकाराम	बकरू पिता चंदरसी	श्व	-	बोर नग	-
18	87/4	भूमिस्वामी	कृषि	0.22	शंकर पिता सकाराम हिा बेबा सकाराम शंकरिया पुत्री सकाराम जाति गोड नि० सुकरी भूमिस्वामी	सकरू पिता चंदरसी	मु० गोमती बेबा सोहनलाल	खिचरो बेवा तुलसी	बकरू पिता चंदरसी	-	-	-	-
19	107/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.77		वन भूमि	बकरू पिता चंदरसी	भू जल पानी के नीचे	सकरू पिता चंदरसी	सागौन	2	मकान कच्चा नग	21.84 वर्ग मी.

20	103	भूमिस्वामी	कृषि	1.23	जानलाल पिता ठाकुरदास गिरनवती बेवा गोवर्धन सुरकिया जानवती दनकिया पिता ठाकुरदास रतीराम	साहमन पिता धन्नु	भू जल पानी के नीचे	भू जल पानी के नीचे	भू जल पानी के नीचे	भू जल पानी के नीचे	-	-	-	-
21	127	भूमिस्वामी	कृषि	0.60	गिरजा रतो सतो पिता गोवर्धन जाति गोंड नि0 ग्राम भूमिस्वामी	मंगलिया ध.प. स्व. उधारू	भू जल पानी के नीचे	भू जल पानी के नीचे	भू जल पानी के नीचे	भू जल पानी के नीचे	-	-	-	-
22	105	भूमिस्वामी	कृषि	2.17	साहमन सुखसागर दुप्पा पिता अधनसी सदन परवतसी उजरसी पिता धन्नु मु0 गनी पिता धन्नु मु0 हुमकिया बेबा बदन अन्नीलाल गेन्दलाल प्रेमलाल चन्नीलाल नन्हेलाल पिता बदन निवासी ग्राम भूमिस्वामी	भू जल पानी के नीचे	भू जल पानी के नीचे	भू जल पानी के नीचे	भू जल पानी के नीचे	महुआ बिल्ली आस श्वे	1 4 2 1 1	कच्चा कुआ 2 नग बोर 1 नग मकान कच्चा 1 नग	60.03 वर्ग मी.	
23	109/ 2	भूमिस्वामी	कृषि	0.40		वन भूमि	भू जल पानी के नीचे	वन भूमि	ईदर पिता सुखई	बिल्ली आस श्वे	7 2 3	मकान कच्चा 1 नग	82.65 वर्ग मी.	
24	109/ 1	भूमिस्वामी	कृषि	0.40	इंदर पिता सुखई जाति गोंड नि0 सिवनी भूमिस्वामी	वन भूमि	अनखराम पिता गुलू	साहमन पिता अधनसी	उदरो पिता सुखई	बिल्ली चर	1 1	कच्चा कुआ 1 नग पक्का कुआ 1 नग		
25	109/ 3	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	उदरो पिता सुखई जाति गोंड नि0 ग्राम भूमिस्वामी	वन भूमि	अनखराम पिता गुलू	इंदर पिता सुखई	रास्ता	-	-	-	-	
26	110	भूमिस्वामी	कृषि	1.33	अनखराम पिता गुलू जाति गोंड नि0 ग्राम भूमिस्वामी	इंदर पिता सुखई	भू जल पानी के नीचे	भू जल पानी के नीचे	रास्ता	सागौन श्वे महुआ	7 1 1	कच्चा कुआ 1 नग		
27	112	भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	कृषि	0.23	इन्दरसी व. सुखई जाति गोंड नि0 ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	इन्दरसी पिता सुखई	इन्दरसी पिता सुखई	सुखमान पिता मुंशी	भू जल पानी के नीचे	महुआ	1	-	-	
28	113	भूमिस्वामी	कृषि	0.39	खेमसिंह पिता धन्नु जाति गोंड नि0 ग्राम भूमिस्वामी	खेमसिंह पिता धन्नु	खेमसिंह पिता धन्नु	सुखमान पिता मुंशी	भू जल पानी के नीचे	-	-	-	-	

29	114	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	सुखमान मानसा पिता मुंशी हरचन्द हब्बे हरवरन पिता सोनसी जाति गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी	सुखमान पि० मुंशी	सुखमान पि० मुंशी	भू जल पानी के नीचे	खेमसिंह पिता धन्नु	-	-	-	-
30	599/105	भूमिस्वामी	कृषि	0.10	मंगलिया पिता उधारू अमसलाल कन्हैया द्रोपती पिता उधारू जाति गोंड नि० सिवनी भूमिस्वामी	मंगलिया पि० उधारू	मंगलिया पि० उधारू	मंगलिया पि० उधारू	साहमन पि० अधनसिंह	-	-	-	-
31	84/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.04	निमसबाई बेबा अन्नीलाल राजाराम राजलाल भोपत रघुवीर पिता अन्नीलाल देवकुमारी शिवकुमारी सेववती सेवती अनीता गोविन्द पिता धरम जाति गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी	चरागाह घास	परसू पिता तीरू	मंगलसी बेबा पतरसी	निमसबाई बेबा अन्नीलाल	-	-	-	-
32	84/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	मंगलवती बेबा पतरसी सन्तकुमार शनियाबाई शांताबाई पुत्री पतरसी गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी	चरागाह घास	परसू पिता तीरू	मंगलसी बेबा पतरसी	निमसबाई बेबा अन्नीलाल	-	-	-	-
33	80	भूमिस्वामी	कृषि	0.15	परसू पिता तीरू अरसराम मंशु सन्तलाल पिता तीरू झूरूलाल पिता वीरन अरसदिया पिता तीरू सोमती बेबा अरसू गोदोबाई बेबा धुरलाल कुंवरसी झगडू सकरवती पिता अरसू सुमतिया बेबा मन्तलाल राजेन्द्र पिता मन्तलाल जाति गोंड नि० सुकरी भूमिस्वामी	मंगलवती बेबा पतरसी	सिरजमान पिता अमीरचंद	कपसी बाई घ.प.ख. पूरन	३० गोमतीबाई बेबा सोहनलाल	-	-	-	-
34	78	भूमिस्वामी	कृषि	0.07	धुरलाल कुंवरसी झगडू सकरवती पिता अरसू सुमतिया बेबा मन्तलाल राजेन्द्र पिता मन्तलाल जाति गोंड नि० सुकरी भूमिस्वामी	खितिया ध.प.ख. पूरन	विरजमान पिता अमीरचंद	परसू पिता तीरू	परसू पिता तीरू	-	-	-	-
35	68/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.27	सोमजी सोमतीबाई पिता पूरन जाति गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी	सोमजी पिता पूरन	परसू पिता तीरू	सोमजी पिता पूरन	सोमजी पिता पूरन	-	-	-	-
36	76/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.01		सोमजी पिता पूरन	सोमजी पिता पूरन	कपसीबाई ध.प.ख. पूरन	सिरजमान पिता अमीरचंद	-	-	-	-
37	351/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.10		रास्ता	महतम पिता सुखमान	सोमजी पिता पूरन	सोमजी पिता पूरन	-	-	-	-
38	77	भूमिस्वामी	कृषि	0.24	विरजमान पिता अमीरचंद जाति गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी	परसू पिता तीरू	कपसीबाई ध.प.ख. पूरन	विरजमान पिता अमीरचंद	विरजमान पिता अमीरचंद	-	-	-	-

39	76/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.05	कपसीबाई ध.प.स्व. पूरन शांतिबाई पिता पूरन जाति गोड निवासी ग्राम भूमिस्वामी	विरजमान पिता अमीरचंद	रास्ता	कपसीबाई ध.प. स्व. पूरन	सेमजी पिता पूरन	-	-	-	-
40	351/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.01		रास्ता	मंगलिया ध.प. स्व., उधारू	कपसीबाई ध.प. स्व. पूरन	कपसीबाई ध.प. स्व. पूरन	-	-	-	-
41	368	भूमिस्वामी	कृषि	0.16	गंगियाबाई बेबा महतम गोमती बेबा महतलाल फागलाल सुनीताबाई पिता महतम कौशल रूसल पिता महतलाल मेहरसी मेहरलाल अमरसी मेहरेसी महरवती नन्ही अमरवती मेहरसो पिता सुखमन जाति गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी	विरजमान पिता अमीरचंद	गिरानी बेबा सुम्मा	गंगियाबाई बेबा महतम	सुकतिया बेबा सुमरन	-	-	-	-
42	362	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	गंगियाबाई बेबा महतम	गंगियाबाई बेबा महतम	गंगियाबाई बेबा महतम	जानलाल पिता ठाकुरदास	गंगियाबाई बेबा महतम	-	-	-	-
43	369	भूमिस्वामी	कृषि	0.01	गिरानी बेबा सुम्मा ध्यानो बेबा सुम्मा बसोरीलाल किशोरीलाल केशरी किसनवती किसनिया पिता सुम्मा जाति गोड निवासी सिवनी भूमिस्वामी	गिरानी बेबा सुम्मा	गिरानी बेबा सुम्मा	गंगियाबाई बेबा महतम	अमसो पिता सुदेशी	-	-	-	-
44	363/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.26	गंगियाबाई बेबा महतम फागलाल सुनीताबाई पिता महतम जाति गोंड नि0 ग्राम भूमिस्वामी	गंगिया बेबा महतम	सुकनिया बेबा सुमरन	अनरसी पि0 पुजमन	अनरसी पि0 पुजमन	-	-	-	-
45	360	भूमिस्वामी	कृषि	0.19	रतन पिता सखाराम सुमंत्राबाई बेबा गनाराम रीझन पिता सखाराम बतीबाई पिता सखाराम नन्ही बाई पिता सखाराम धेलसिंग दिलीप पिता गनाराम नि0 ग्राम भूमिस्वामी	रतन पिता सखाराम	रतन पिता सखाराम	रतन पिता सखाराम	रतन पिता सखाराम	-	-	-	-
46	426	भूमिस्वामी	कृषि	0.22	गोपाल दिपाल पिता मियन मु0 झमिया ध.प. स्व. मियन जाति गोड निवासी ग्राम भूमिस्वामी	असाडू पिता रूपसिंह	अमरसी पिता पुजमन	गोपाल पिता मियन	गोपाल पिता मियन	-	-	-	-
47	425/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.06	सुखमान मानसा पिता मुंशी जाति गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी	सुखमान पिता मुंशी	सनी पिता बूलमान	गोपाल पिता मियन	सुखमान पिता मुंशी	-	-	-	-
48	365/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.07	असाडू मंगलिया पिता रूपसी प्रेमवती ध.प.स्व. नुक्खेलाल गनेशराम पिता जमरसी जाति गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी	असाडू पिता रूपसी	गोपाल पिता मियन	रतन पिता सखाराम	असाडू पिता रूपसी	-	-	-	-

49	69/1	भूमिस्वामी	कृषि	0.09	किशोरी पिता नन्हेलाल जाति गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी	किशोरी पिता नन्हेलाल	किशोरी पिता नन्हेलाल	मु० सुकरती पति गुलाब	परसू पिता तीरू	-	-	-	-
50	69/2	भूमिस्वामी	कृषि	0.11	किसनलाल पिता नन्हेलाल जाति गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी	किसनलाल पिता नन्हेलाल	किसनलाल पिता नन्हेलाल	सुकरती पति गुलाब	खिमिया बे० सूरन	-	-	-	-
51	70	भूमिस्वामी	कृषि	0.18	मु० सुकरती जौ. गुलाब जाति गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी	किशनलाल पिता नन्हेलाल	सिरजलाल पिता अमीरचंद	चतुर्भूज पिता झनकू	किशोरी पिता नन्हेलाल	-	-	-	-
योग				19.58		-	-	-	-	60	8-कूप 3-बार 3-पकान	164.52	वर्ग मी.

1. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
2. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री जलसंसाधन संभाग क्रं 1 सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/ विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विललंगम सृजित नहीं करेगा।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(1) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

क्षितिज सिंघल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

क्र. 75अ-82-21-22-भू-अर्जन-2584

सागर, दिनांक 28 मार्च 2023

(देखिये धारा 19 एवं 21)

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में धारा 15 के तहत कोई आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि/स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थावर परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है।

(1) परियोजना का नाम : हनौता सिंचाई परियोजनांतर्गत डूब क्षेत्र निर्माण हेतु

(2) भूमि का विवरण

1. जिला : सागर
2. तहसील : खुरई
3. ग्राम : महुना जाट
4. पट.ह.नं.- : 38
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 18.590 हे.
6. अर्जित मकान इत्यादि का क्षेत्रफल : 9500.17

:: अनुसूची ::

स. क्र.	भू-धारक का नाम/ पिता एवं पति का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा हे.में	अर्जित भूमि का विवरण हे. में			अर्जित भूमि पर स्थित स्थावर परिसम्पत्ति, वृक्षों/ कुओं/ टयूबवेल/ मकानों का विवरण एवं मूल्य (मकानों को छोड़कर)
				सिंचित	असिंचित	पड़ती	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रामरतन पिता दरयावसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	108/341	2.210	2.210	0.000	0.000	बेर-5 छेवला-6
		240	0.080	0.000	0.040	0.000	बेर-5, नीबू-1 शूलबबूल-3, रंजा-1, इमली-1
2	रामप्यारी पति भरोसीलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	128	0.550	0.070	0.000	0.000	बेर-1, रुसल्ला-1 गुरार-1, छेवला-1
3	धनीराम पिता इमरत पता सा.देह भूमि स्वामी	141/2	0.800	0.550	0.000	0.000	बेर-5, छेवला-1 गुरार-2
		141/2=0.60, 14 1/3=0.20					

4	धर्मेन्द्रसिंह अमितसिंह पिता	161	0.110	0.000	0.110	0.000	---
	रामसींग प्रहलाद सिंह	245	0.030	0.000	0.030	0.000	नीबू-3, आम-4
	निहालसिंह पिता मोहनसिंह						चीकू-1, आंवला-1
5	ललिताबाई पुत्री मोहनसिंह						मुनगा-1, अमरुद-1
	पूनाबाई बेवा मोहनसिंह पता						अनार-1,
	सा.देह भूमि स्वामी	247	0.040	0.000	0.040	0.000	सीताफल-2
5	संतोषकुमार पिता शिखरचंद पता	170	0.080	0.000	0.080	0.000	बासधिरा-40
	सा.देह भूमि स्वामी	172	0.150	0.000	0.040	0.000	खजूर-4
		335	9.150	9.150	0.000	0.000	चिरील-1, खजूर-1
6	बलवंत पिता परम पता सा.देह						बेर-36, आम-2
	भूमि स्वामी	172/337	0.020	0.000	0.000	0.020	गुरार-2, घामन-1
							सेमर-2, महानीम-2
7	मीराबाई पति शालकराम पता						छेवला-8, हडुवा-1
	सा.देह भूमि स्वामी	173	0.020	0.000	0.020	0.000	कोहा-2, खैर-1
							उमर-2, खजूर-6
8	महेन्द्र सिंह पिता दरयाव सिंह						बासधिरा 20
	पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	174	0.090	0.000	0.010	0.000	कुआं-1

9	किशनसिंह पिता दरयाव सिंह	176	0.060	0.000	0.010	0.000	---
	पता सा.देह भूमि स्वामी	309	1.080	1.020	0.000	0.000	बेर-3, हडुवा-3
							सेमर-1, चिरील-1
10	राधेसींग पिता दरयावसींग पता	177	0.070	0.000	0.010	0.000	गुरार-7, रेंजा-1
	सा.देह भूमि स्वामी	305	0.240	0.240	0.000	0.000	छेवला-1, नीम-1
							महुवा-1, बबूल-2
11	रामबाबू सिंह किशनसिंह पिता	178	0.140	0.060	0.000	0.000	उमर-3, इमली-1
	दरयाव सिंह पता सा.देह भूमि	178=0.05, 179=					बेर-1, खजूर-2
	स्वामी	0.04, 180=0.01					अशोक-1
12							
12	नबल प्रेमा पिता हल्के रामप्यारी	183	0.120	0.000	0.120	0.000	बेर-2
	धनिया पुत्री हल्के राधारानी बेवा						खजूर-1
	हल्के पता सा.देह भूमि स्वामी						

13	मंदिर श्री महावीर श्री स्वामी बाके देह मुह.राम गुलाम पिता विहारीलाल प्रबंधक कलेक्टर महो.सागर सा.देह भूमि स्वामी	184	0.080	0.080	0.000	0.000	शूलबबूल-1 इमली-1, खजूर-2
14	रामबाबू किशन सिंह पिता दरयाव सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	185/1	0.040	0.000	0.040	0.000	अमरुद
		186/2	0.040	0.000	0.040	0.000	शूलबबूल-12 नलकूप-1
15	प्रमेन्द्रसिंग पिता राम किशन पता सा.देह भूमि स्वामी	185/2	0.010	0.000	0.010	0.000	-
16	विजेन्द्रसिंह पिता रघुराजसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	186/1	0.010	0.000	0.010	0.000	-
17	रमेशसिंह पिता खुशीलाल सा.देह भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	226/1	0.040	0.000	0.040	0.000	खजूर-1
18	खुशीलाल पिता दरयावसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	226/2	0.040	0.000	0.040	0.000	-
19	भारत पिता खुशीलाल पता सा- देह भूमि स्वामी	226/3	0.040	0.000	0.040	0.000	अमरुद-2 नीबू-4
20	राजकुमार शिवकुमार पिता बहादुरसिंह ममता मीना ऊषा पिता बहादुरसिंह दांगी पता सा देह भूमि स्वामी	228	0.060	0.000	0.060	0.000	अमरुद-8 नीबू-6 शूलबबूल-13
21	देशराजसिंह सौभाग्यसिंह पिता धूमनसिंह भूमि स्वामी सा देह	242	0.050	0.000	0.040	0.000	-
22	बृजरानी बेवा निहालसिंह पुष्पेन्द्र पिता निहालसिंह शकुनबाई उत्तराबाई कृष्णाबाई पिता निहालसिंह मंगलसिंह पिता योगेन्द्रसिंह कीर्तिबाई बेवा योगेन्द्रसिंह सा.देह भूमि स्वामी	243	0.030	0.000	0.030	0.000	बबूल-1 शूलबबूल-1 चिरौल-1
23	वीरेन्द्र सिंह पिता प्रहलादसिंह सा देह भूमि स्वामी	244	0.130	0.100	0.000	0.000	बेर-1, सागौन-18 चिरौल-1, खजूर-1 अशोक-1
24	राधारानी पति प्रहलादसिंह सा देह निवासी ग्राम भूमि स्वामी	246	0.030	0.000	0.000	0.030	-

25	हरीराम पिता हजारी पता सागर मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी परमानन्द पति मानसींग पता सागर मध्य प्रदेश 1/10 भाग भूमि स्वामी रामदास पिता मानसींग पता सागर मध्य प्रदेश 1/10 भाग भूमि स्वामी, कन्हैयालाल पिता मानसींग पता सागर मध्य प्रदेश 1/10 भाग भूमि स्वामी रामनाथ पिता मानसींग पता सागर मध्य प्रदेश 1/10 भाग भूमि स्वामी मानती पुत्री मानसींग पता सागर मध्य प्रदेश 1/10 भाग भूमि स्वामी	301	0.800	0.030	0.000	0.000	
26	पर्वत पिता पल्लुवा पता सा.देह भूमि स्वामी	302	0.580	0.050	0.000	0.000	
27	फूलसिंह पिता विन्द्रावन पता सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	303	0.920	0.920	0.000	0.000	सेमर-1 खजूर-3
28	दामोदर पिता तिज्जा पता सा देह भूमि स्वामी	307/1	0.500	0.460	0.000	0.000	छेवला-1 हड्डुवा-2
29	वैजयंतीबाई पति नखनसिंह सा खजराहरचंद भूमि स्वामी	307/2	0.800	0.220	0.000	0.000	बेर-2, असतो-1, रेंजा-1, हड्डुवा-3 सेमर-1, गुरार-1 खजूर-1
30	खडक सिंह पिता रामरतन सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	308	0.380	0.010	0.000	0.000	नलकूप-1
31	कमलेश पत्नि किशनसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी	310/2	0.540	0.540	0.000	0.000	-
		310/3	0.140	0.140	0.000	0.000	-
		310/4	0.220	0.220	0.000	0.000	-
32	निरंजन पिता पर्वत पता सा.देह भूमि स्वामी	315	1.170	0.870	0.000	0.000	बेर-9, गुरार-4 बबूल-1, कुआं-1
33	हरीराम पिता हजारी पता सा.देह भूमि स्वामी	316	1.170	0.740	0.000	0.000	बेर-5, रुसल्ला-1 गुरार-14, छेवला-3 बबूल-2
योग		44	22.860	17.680	0.860	0.050	

डूब क्षेत्र में स्थित प्रभावित मकान इत्यादि का विवरण

स. क्र.	वर्तमान अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण	ख.नं.	रकबा	भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण	प्रभावित मकान का विवरण		धारा 11 के प्रकाशन दिनांक को धारा 3ड के तहत प्रभावित परिवारों का विवरण	क्या धारा 11 के प्रकाशन के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से लगातार निवास है अथवा नहीं
					कबेलू/टिनशेड/पक्का गाटर फर्शी/आर.सी.सी.	मकान का क्षेत्रफल (व.मी.मे)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	राजकुमार शिवकुमार पिता बहादुरसिंह ममता मीना ऊषा पिता बहादुरसिंह दांगी पता सा देह भूमि स्वामी	228	0.06	बलराम सिंह पिता गुलाबसिंह	दीवार पत्थर की पक्की छत गाटर फर्शी पाटे	23.52	निरंक	हाँ
					दीवार पत्थर की पक्की छत गाटर फर्शी पाटे	16.24		
					दीवार पत्थर की पक्की छत गाटर फर्शी पाटे फर्श पटिया	19.04		
					शौचालय	8.00		
					वर्मी की कम्पोज टैंक	2.40		
					निरंक	0.00		
					कुल योग:-	69.20		
3	राजकुमार शिवकुमार पिता बहादुरसिंह ममता मीना ऊषा पिता बहादुरसिंह दांगी पता सा देह भूमि स्वामी	228	0.06	शिवराज सिंह पिता गुलाबसिंह	दीवार ईट की पक्की टीनशेड फर्श पक्का डबल	28.50	निरंक	हाँ
					दीवार ईट की पक्की टीनशेड फर्श पक्का डबल	11.20		
					दीवार ईट की पक्की टीनशेड फर्श पक्का	14.08		
					निरंक	0.00		
					कुल योग:-	53.78		
5	भारत पिता खुशीलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	226/3	0.04	भारतसिंह पिता खुशीलाल दांगी	दीवार पत्थर की , छत पाटे सी सी फर्श पक्का	12.80	निरंक	हाँ
					दीवार पत्थर की , छत पाटे सी सी फर्श पक्का	12.80		
					दीवार पत्थर की , छत पाटे लकड़ी फर्श कच्चा	42.12		
					नहानी पक्की	4.00		
					नहानी + शौचालय	4.99		
					कच्चा घर	6.56		
					पत्थर की बाउण्ड्री बनी	5.50		
					कुल योग:-	88.77		

6	धर्मेन्द्रसिंह अमितसिंह पिता रामसींग प्रहलादसिंह निहालसिंह पिता मोहनसिंह ललिताबाई पुत्री मोहनसिंह पूनाबाई बेवा मोहनसिंह पता सा. देह भूमिस्वामी	247	0.040	रामसिंह पिता डेलेनसिंह	दीवार पत्थर की, छत गाटर, फर्शी पाटे फर्श पक्का दीवार पत्थर की, छत गाटर, फर्शी पाटे फर्श पक्का बाउण्डीबाल पक्की ईट की दहलान दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी, फर्श पक्का गाटर फर्शी, शौचालय बाउण्डीबाल पक्की ईट की	43.12 43.12 28.20 16.65 20.40 6.08 21.44	निरंक	हा
7					निरंक	0.00	धर्मेन्द्र सिंह पिता रामसिंह	हा
8					निरंक	0.00	अमित सिंह पुत्र रामसिंह	हा
					कुल योग:-	179.01		
9	रामरतन पिता दरयावसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	240	0.080	खडक सिंह पिता रामरतन सिंह	दीवार पत्थर मिट्टी की लकड़ी, फर्श कच्चा दीवार पत्थर मिट्टी की लकड़ी, खपरा, फर्श कच्चा दहलान दीवार पत्थर की छत आर सी सी फर्श पक्का दीवार ईट की, टीनरोड, गौशाला शौचालय पक्का दीवार ईट की छत शेष फाउण्डेशन दीवार ईट की पक्की	23.8 17.50 33.62 18.72 5.32 42.00 32.80 20.00	निरंक	हा
10					निरंक	0.00	रोमिल सिंह पुत्र खडक सिंह	हा
11					निरंक	0.00	स्वाती पुत्री खडकसींग	हा
12					निरंक	0.00	वैशाली पुत्री खडकसींग	हा
					कुल योग:-	193.76		
13	शासकीय आबादी	252	1.160	फूलसिंह पिता वृन्दावन सिंह राजपूत	दीवाल ईट की पक्की छत आर सी.सी. फर्श पक्का दीवाल ईट की पक्की बाउण्डीवाल पत्थर सीमेन्ट का चबूतरा	28.38 13.34 5.00	निरंक	हाँ
	फूलसिंह पिता विन्दावन पता सागर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	303	0.920					
					कुल योग:-	46.72		
14	शासकीय	197/1	30.060	बल्लू पिता हरलाल धानक	दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी पन्नी फर्श कच्चा	34.40	निरंक	हाँ
					कुल योग:-	34.40		

15	शासकीय	197/1	30.060	भुरेलाल पिता हरलाल धानक	दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी पाटे, फर्श कच्चा	28.98	निरंक	हाँ
					दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी पन्नी, फर्श कच्चा	20.01		
					शौचालय पक्का	1.44		
					कुल योग:-	50.43		
16	शासकीय	197/1	30.060	घन्सू पिता घम्मू आदिवासी	दीवार पत्थर की छत कड़ी, पटिया, फर्श कच्चा	28.50	निरंक	हाँ
					दीवार पत्थर की छत कड़ी, पटिया, फर्श कच्चा	24.75		
					शौचालय पक्का	1.44		
					कुल योग:-	54.69		
17	शासकीय	197/1	30.060	रन्धीर रैकवार पिता पूरन रैकवार	दीवार पत्थर की छत कड़ी, पटिया, फर्श कच्चा	20.64	निरंक	हाँ
					दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी पाटे, फर्श कच्चा	21.28		
					शौचालय पक्का	1.44		
18					निरंक	0.00	बेनीबाई पति पूरन	हाँ
19					निरंक	0.00	अमन पिता रन्धीर रैकवार	हाँ
					कुल योग:-	43.36		
20	शासकीय	197/1	30.060	नरेन्द्र पिता कम्मोद अहिरवार	दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी पाटे, फर्श कच्चा	23.18	निरंक	हाँ
					दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी पाटे, फर्श कच्चा	9.36		
					दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी पाटे, फर्श कच्चा दहलान	5.28		
					कुल योग:-	37.82		
21	शासकीय	197/1	30.060	छोटेलाल पिता हरी	दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी पाटे, फर्श कच्चा	26.52	निरंक	हाँ
					दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी पाटे, फर्श कच्चा दहलान	17.68		
					शौचालय	1.69		
22					पानी का टैंक	3.14		
					निरंक	0.00	दीपक अहिरवार पिता छोटेलाल अहिरवार	हाँ
					कुल योग:-	49.02		

23	शासकीय	197/1	30.060	हरदास पिता पंचम रैकवार	दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी पाटे, फर्श कच्चा	42.12	निरंक	हाँ
					दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी पाटे, फर्श कच्चा	46.44		
					शौचालय पक्का	1.44		
					कुल योग:-	90.00		
24	शासकीय	197/1	30.060	बल्लू पिता चेतु अहिरवार	दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी पाटे, फर्श कच्चा	45.15	निरंक	हाँ
					दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी पाटे, सीमेन्ट सीट फर्श कच्चा	28.35		
					दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी पाटे, फर्श कच्चा	11.20		
					लकड़ी पन्नी गौशाला	8.40		
					निरंक	0.00		
					कुल योग:-	93.10		
26	शासकीय	197/1	30.060	भारत पिता बसंत अहिरवार	दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी पाटे, फर्श कच्चा	32.63	निरंक	हाँ
					दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी पाटे, फर्श कच्चा, दहलान	16.13		
27	शासकीय	197/1	30.060	बसंत पिता चेतु अहिरवार	दीवार पत्थर मिट्टी की छत पन्नी लकड़ी पाटे, फर्श कच्चा, गौशाला	38.50	निरंक	हाँ
					दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी पाटे, फर्श कच्चा दहलान	23.40		
					शौचालय पक्का	1.44		
					कुल योग:-	63.34		

28	शासकीय	197/1	30.060	खिलान पिता कनई अहिरवार	दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी पाटे, फर्श कच्चा	24.09	निरंक	हाँ
					दीवार पत्थर मिट्टी की छत पन्नी लकड़ी पाटे, फर्श कच्चा दहलान	18.48		
					शौचालय	1.44		
					कुल योग:-	44.01		
29	शासकीय	197/1	30.060	बृजेश कुमार पिता घनश्याम अहिरवार	दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी पाटे, फर्श कच्चा	21.08	निरंक	हाँ
					दीवार पत्थर मिट्टी की छत पन्नी लकड़ी पाटे, फर्श कच्चा दहलान	16.12		
					शौचालय	1.44		
					कुल योग:-	38.64		
30	शासकीय	197/1	30.060	मंजुलाल पिता धनू अहिरवार	दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी पाटे, फर्श कच्चा	31.11	निरंक	हाँ
					दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी खपरा, फर्श कच्चा	38.75		
					दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी, फर्श कच्चा	37.50		
					शौचालय	7.82		
					निरंक	0.00		
31					निरंक	0.00	प्रियंका पुत्री मंजुलाल	हाँ
32					निरंक	0.00	छाया पुत्री मंजुलाल	हाँ
33					निरंक	0.00	शिवानी पुत्री मंजुलाल	हाँ
					कुल योग:-	115.18		
34	शासकीय	197/1	30.060	सोनू पिता मंजुलाल अहिरवार	दीवार पत्थर की पाटे, फर्श भू-तल	29.10	निरंक	हाँ
					दीवार पत्थर की पाटे, फर्श प्रथम तल	29.10		
					दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी, पाटे फर्श कच्चा	31.72		
					दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी, पाटे फर्श कच्चा दहलान	47.38		
					कुल योग:-	137.30		

35	शासकीय	197/1	30.060	विश्वनाथ सिंह पिता मचलसिंह राजपूत	दीवार ईट की पक्की लकड़ी, खपरा, फर्श पक्का	19.80	निरंक	हाँ
					दीवार ईट की पक्की लकड़ी, खपरा, फर्श पक्का	19.80		
					दीवार ईट की छत, टीनशेड फर्श कच्चा।	14.76		
					दीवार ईट की पक्की लकड़ी, फर्श पक्का	37.19		
					दीवार ईट की पक्की लकड़ी, फर्श पक्का	26.88		
					दीवार ईट की छत, टीनशेड फर्श कच्चा।	46.92		
					गौशाला	13.90		
					शौचालय	11.10		
					नहानी पक्की	3.75		
					दीवाल ईट की	3.41		
36					निरंक	0.00	राजेश पिता विश्वनाथ	हाँ
37					निरंक	0.00	ब्रजेश पिता विश्वनाथ	हाँ
					कुल योग:-	197.51		
38	शासकीय	197/1	30.060	चंदन पिता लटोरी	दीवार लकड़ी पन्नी की फर्श कच्चा भूसाघर	15.20	निरंक	हाँ
					दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी पन्नी फर्श कच्चा	19.20		
					दीवार लकड़ी पन्नी की फर्श कच्चा गौशाला	16.40		
					शौचालय	1.44		
					पानी की टंकी	1.90		
					कुल योग:-	54.14		
39	शासकीय	197/1	30.060	दामोदर पिता तिज्जे अहिरवार	दीवार लकड़ी पत्थर की पाटे	11.52	निरंक	हाँ
					दीवार मिट्टी की लकड़ी फर्श कच्चा	28.08		
					दीवार पत्थर मिट्टी छत लकड़ी पन्नी फर्श कच्चा	24.48		
					शौचालय	1.44		
					कुल योग:-	65.52		
40	शासकीय	197/1	30.060	नब्बो पति नारायण अहिरवार	दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी पट्टा गाटर फर्श कच्चा	19.20	निरंक	हाँ
					दीवाल लकड़ी पत्थर की पाटे	23.40		
					गौशाला	4.62		
					कुल योग:-	47.22		

41	शासकीय	197/1	30.060	रामचरन पिता बुददे अहिरवार	दीवार पत्थर की छत पाटे फर्श कच्चा	23.40	निरंक	हाँ	
					दीवाल पत्थर की छत कडी पटिया फर्श कच्चा	15.60			
					दहलान	9.60			
					दीवाल लकडी पन्नी छत लकडी फर्श कच्चा	14.40			
					शौचालय	3.50			
					कुल योग:-	66.50			
42	भारत पिता खुशीलाल पता सा. देह भूमि स्वामी	226/3	0.040	कल्यानसिंह पिता भारतसिंह दांगी	दीवार पत्थर की पाटे फर्श पक्का	13.20	निरंक	हाँ	
					दीवार पत्थर की पक्की छत फर्श पक्का	32.70			
					शौचालय	5.01			
					कुल योग:-	50.91			
43	शासकीय वन	199	2.770	बबलू पिता गणेश अहिरवार	दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकडी पाटे फर्श कच्चा	45.65	निरंक	हाँ	
					दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकडी पाटे फर्श कच्चा	43.86			
					दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकडी पाटे फर्श कच्चा	46.54			
					शौचालय	1.44			
44						निरंक	0.00	पूजा पुत्री बबलू अहिरवार	हाँ
45						निरंक	0.00	विजय पुत्र बबलू अहिरवार	हाँ
					कुल योग:-	137.48			
46	शासकीय वन	199	2.770	खुमान पिता हरलाल धानक	दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकडी पाटे फर्श कच्चा	43.29	निरंक	हाँ	
					दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकडी पन्नी की फर्श कच्चा	31.04			
					शौचालय	1.44			
47						निरंक	0.00	अरन पिता खुमान	हाँ
48						निरंक	0.00	करन पिता खुमान	हाँ
49						निरंक	0.00	बाबूलाल पिता खुमान	हाँ
					कुल योग:-	75.77			

50	शासकीय वन	199	2.770	राजाराम पिता हरलाल आदिवासी	दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी पाटे फर्श कच्चा	17.48	निरक	हाँ
					दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी पन्नी की फर्श कच्चा	11.50		
					शौचालय	1.44		
					कुल योग:-	30.42		
51	शासकीय वन	199	2.770	रामलाल पिता राजाराम आदिवासी	दीवार पत्थर मिट्टी गाटर फर्शी फर्श कच्चा	29.48	निरक	हाँ
					दीवार पत्थर मिट्टी छत लकड़ी पाटे फर्श कच्चा दहलान	14.96		
					लकड़ी पन्नी गौशाला	18.90		
					दीवार पटिया छत लकड़ी पन्नी की फर्श कच्चा बकरी घर	13.86		
					कुल योग:-	77.20		
52	शासकीय वन	199	2.770	मोहन पिता भुजबल प्रजापति	दीवाल पत्थर लकड़ी पाटे फर्श कच्चा	44.80	निरक	हाँ
					दीवाल पत्थर लकड़ी पाटे फर्श कच्चा, टीनशेड दहलान	31.36		
					दीवार लकड़ी पन्नी, छत लकड़ी फर्श कच्चा गौशाला	23.04		
					शौचालय पक्का	1.44		
					नहानी ओपन कच्ची	3.00		
					निरक	0.00		
					कुल योग:-	103.64		
54	शासकीय वन	199	2.770	उमाबाई पति पंचमसिंह	दीवाल ईट की छत लकड़ी पाटे खपरा फर्श कच्चा	44.28	निरक	हाँ
					दीवाल पत्थर छत सीमेंट सीट फर्श कच्चा	28.08		
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत टीनशेड	30.24		
					नहानी पक्की	2.85		
					शौचालय	2.38		
					कुल योग:-	107.83		
55	शासकीय वन	199	2.770	राजकुमारी पति सोवरनसिंह राजपूत	दीवाल ईट की पक्की छत जिक सीट फर्श पक्का किराना	17.50	निरक	हाँ
					नहानी-शौचालय	4.94		
					दीवाल पत्थर ईट की छत शेष	39.60		
					लूज पत्थर की बारुण्डीवाल	14.48		
					कुल योग:-	76.52		

56	शासकीय वन	232/1	2.040	ब्रजमोहन पिता मिहीलाल	दीवाल ईट की छत टीनशेड फर्श कच्चा	30.40	निरंक	हाँ
					दीवाल ईट की छत टीनशेड फर्श कच्चा गौशाला	8.96		
					कुल योग:-	39.36		
57	शासकीय वन	232/1	2.040	देवीसिंह पिता पूरन अहिरवार	दीवाल पत्थर मिट्टी, छत नाठे पाटे फर्श कच्चा	20.40	निरंक	हाँ
					कुल योग:-	20.40		
58	शासकीय वन	232/1	2.040	बबलू पिता पूरनसिंह	दीवाल ईट की छत खपरैल फर्श कच्चा	51.12	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी पाटे खपरा फर्श कच्चा	20.40		
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी पाटे खपरा फर्श कच्चा	16.43		
59					निरंक	0.00	पूरन पिता बारेलाल	हाँ
					कुल योग:-	87.95		
60	शासकीय वन	232/1	2.040	विश्वनाथ पिता सुकलाल अहिरवार	दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी खपरा फर्श कच्चा, दहलान	21.58	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी खपरा फर्श कच्चा।	32.37		
					दीवार लकड़ी पन्नी की फर्श कच्चा गौशाला	15.77		
61					निरंक	0.00	रामविशाल पिता सुखलाल अहिरवार	हाँ
					कुल योग:-	69.72		
62	शासकीय वन	232/1	2.040	रामवती पति शेरसिंह कुर्मी	दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी खपरा फर्श कच्चा।	20.40	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी खपरा फर्श कच्चा।	13.77		
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी खपरा फर्श कच्चा गौशाला।	19.00		
					कुल योग:-	53.17		
63	शासकीय चारागाह	233	7.530	अमरसिंह पिता जालम सिंह सौर	दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी खपरा फर्श कच्चा।	32.68	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी की पाटे फर्श कच्चा दहलान।	23.22		
					शौचालय	1.44		
					कुल योग:-	57.34		

64	शासकीय चारागाह	233	7.530	महेश पिता गनेश धानक	दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी खपरा फर्श कच्चा।	19.50	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी की पाटे फर्श कच्चा दहलान।	11.28		
					शौचालय	1.44		
					कुल योग:-	32.22		
65	शासकीय चारागाह	233	7.530	गनेश पिता कम्मोद धानक	दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी खपरा फर्श कच्चा।	30.80	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी की पाटे फर्श कच्चा दहलान।	18.48		
					दीवाल पत्थर की लकड़ी पाटे से बना बकरी घर	14.82		
					शौचालय	5.06		
					कुल योग:-	69.16		
66	शासकीय चारागाह	233	7.530	प्रकाश पिता हल्केराम अहिरवार	दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी खपरा फर्श कच्चा क्षतिग्रस्त।	22.40	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी खपरा फर्श कच्चा।	30.75		
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी खपरा फर्श कच्चा।	30.75		
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी खपरा फर्श कच्चा।	13.20		
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी खपरा फर्श कच्चा।	13.20		
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी पन्नी फर्श कच्चा।	14.35		
					लकड़ी पन्नी की झोपडी	8.84		
					शौचालय	5.78		
67	शासकीय चारागाह	233	7.530	गयाप्रसाद पिता बुददे अहिरवार	सी.एम आवास योजना आर सी सी पक्का	34.86	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी पाटे फर्श कच्चा, गौशाला।	14.04		
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत टीनशेड फर्श कच्चा।	18.24		
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत टीनशेड फर्श कच्चा दुकान।	5.00		
					मुर्गी पालन घर	4.35		
					शौचालय	1.44		
					कुल योग:-	77.93		

68	शासकीय चारागाह	233	7.530	भगवानदास पिता वुददे अहिरवार	डबल दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी की पाटे फर्श कच्चा	40.74	निरंक	हाँ
					डबल दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी की पाटे फर्श कच्चा	40.74		
					डबल दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी की पाटे फर्श कच्चा	26.19		
					डबल दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी की पाटे फर्श कच्चा	26.19		
					दीवार पत्थर मिट्टी की छत टीनशेड फर्श कच्चा गौशाला	13.52		
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी पाटे फर्श कच्चा।	33.60		
					नहानी छत सीमेंट सीट	4.35		
					शौचालय	2.88		
					कुल योग:-	188.21		
69	शासकीय चारागाह	233	7.530	ब्रंदावन पिता धोकल अहिरवार	दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी पाटे फर्श कच्चा।	19.20	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी पाटे फर्श कच्चा दहलान।	12.00		
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी पाटे फर्श कच्चा।	18.24		
					शौचालय पक्का	1.44		
					कुल योग:-	50.88		
70	शासकीय चारागाह	233	7.530	देविन्द्र पिता धोकल अहिरवार	दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी पाटे फर्श कच्चा।	22.40	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी पाटे फर्श कच्चा दहलान।	16.64		
					शौचालय पक्का	1.44		
					कुल योग:-	40.48		
71	शासकीय चारागाह	233	7.530	मनबाई वेवा धोकल अहिरवार	दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी, पाटे फर्श कच्चा।	26.52	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी, पाटे फर्श कच्चा।	20.40		
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी, पन्नी फर्श कच्चा, गौशाला।	12.40		
					गौशाला	1.44		
					कुल योग:-	60.76		
72	शासकीय चारागाह	233	7.530	शिवकुमार पिता रम्भू अहिरवार	दीवाल ईट की छत टिनशेड फर्श कच्चा	20.13	निरंक	हाँ
					कुल योग:-	20.13		

73	शासकीय चारागाह	233	7.530	रम्मू पिता धोकल अहिरवार	दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत लकड़ी पाटे की फर्श कच्चा।	21.70	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत लकड़ी पाटे की फर्श कच्चा।	12.40		
					सीमेण्ट शीट	5.52		
					शौचालय पक्का	1.44		
					कुल योग:-	41.06		
74	शासकीय चारागाह	233	7.530	वीरवल पिता धम्मू आदिवासी	दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत लकड़ी पाटे की फर्श कच्चा।	23.80	निरंक	हाँ
					कुल योग:-	23.80		
75	शासकीय चारागाह	233	7.530	दम्मू पिता मन्नू आदिवासी	दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत लकड़ी पाटे की फर्श कच्चा।	28.00	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत लकड़ी पाटे की फर्श कच्चा।	20.00		
					शौचालय पक्का	1.44		
					कच्चा कमरा	22.01		
76					निरंक	0.00	प्रीतम पिता दम्मू आदिवासी	हाँ
					कुल योग:-	71.45		
77	शासकीय चारागाह	233	7.530	बालकेशन पिता दम्मू आदिवासी	दीवाल ईट की पक्की छत गाटर फर्शी फर्श पक्का।	27.00	निरंक	हाँ
					कुल योग:-	27.00		
78	शासकीय चारागाह	234	1.200	छोटेलाल पिता गुवरे अहिरवार	दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत लकड़ी खपरा फर्श कच्चा।	13.86	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत लकड़ी पाटे की फर्श कच्चा।	13.44		
					पन्नी की झोपडी	8.25		
					शौचालय पक्का	1.44		
					कुल योग:-	36.99		
79	शासकीय चारागाह	233	7.530	मीनसिंह पिता शेरसिंह	टीनशेड फर्श पटिया गौशाला	18.48	निरंक	हाँ
					दीवाल ईट पत्थर की छत आर सी.सी. फर्श पक्का	54.67		
					शौचालय	4.96		
					कुल योग:-	78.11		

80	शासकीय चारागाह	233	7.530	राजाराम पिता बलिराम प्रजापति	दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत लकड़ी पाटे की फर्श कच्चा।	31.36	निरंक	हाँ
					दीवाल ईट की छत सीमेन्ट शीट, फर्श कच्चा	12.32		
					कुल योग:-	43.68		
81	शासकीय चारागाह	233	7.530	अमानोबाई पति बलिराम प्रजापति	दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत लकड़ी पाटे की फर्श कच्चा।	14.40	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत लकड़ी पाटे की फर्श कच्चा।	9.60		
					दीवाल ईट की	2.40		
82						0.00	मैरोलाल पिता बलिराम	हाँ
					कुल योग:-	26.40		
83	शासकीय चारागाह	233	7.530	किशन पिता बलिराम प्रजापति	दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत लकड़ी खपरा फर्श कच्चा।	15.91	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत लकड़ी पाटे की फर्श कच्चा।	11.18		
					टीनशेड	8.12		
					शौचालय	2.99		
					कुल योग:-	38.20		
84	शासकीय चारागाह	233	7.530	रामकुमार पिता रामसेवक चढार	लकड़ी पन्नी की गौशाला	8.99	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत लकड़ी पाटे की फर्श कच्चा।	8.70		
					छत पन्नी लकड़ी की दहलान	6.38		
					शौचालय	1.44		
					कुल योग:-	25.51		
85	शासकीय चारागाह	233	7.530	राघारानी पति रामसेवक चढार	दीवाल ईट छत लकड़ी पाटे/नाटै फर्श कच्चा	27.20	निरंक	हाँ
					नहानी ओपन कच्ची	4.00		
					कुल योग:-	31.20		
86	शासकीय चारागाह	233	7.530	रामस्वरूप पिता मुलू रैकवार	दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत लकड़ी पाटे खपरा, फर्श कच्चा।	16.00	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत टीनशेड फर्श कच्चा।	11.00		
					दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत लकड़ी पाटे फर्श कच्चा गौशाला।	17.05		
					कुल योग:-	44.05		

87	शासकीय चारागाह	233	7.530	प्रेमबाई बेवा मुलू रैकवार	दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत लकड़ी पाटे खपरा, फर्श कच्चा।	21.06	निरक	हाँ
					कुल योग:-	21.06		
88	शासकीय चारागाह	233	7.530	नन्दू पिता अर्जुन चौधरी	दीवाल ईट की छत आर सी सी	85.14	निरक	हाँ
					दीवाल ईट की छत सीमेन्ट शीट, फर्श कच्चा	28.00		
					दीवाल मिट्टी की छत कबेलू	16.50		
					शौचालय	2.84		
89					निरक	0.00	रामकृष्ण पिता नन्दराम	हाँ
90					निरक	0.00	सरिता पुत्री नन्दराम	हाँ
					कुल योग:-	132.48		
91	शासकीय चारागाह	233	7.530	रामराज पिता नन्दू अहिरवार	दीवाल ईट छत सीमेन्ट फर्श कच्चा	22.00	निरक	हाँ
					दीवाल ईट छत सीमेन्ट दहलान	12.10		
					दीवाल ईट छत सीमेन्ट गौशाला	9.60		
					शौचालय	2.84		
					कुल योग:-	46.54		
92	शासकीय चारागाह	233	7.530	छोटेलाल पिता जवार अहिरवार	दीवाल पत्थर, छत टीनशेड फर्श कच्चा गौशाला।	19.25	निरक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी पाटे खपरा फर्श कच्चा	28.49		
					दीवाल ईट छत सीमेन्ट फर्श कच्चा	20.02		
					किराना की दुकान	4.56		
					नहानी ओपन कच्ची	3.00		
					कुल योग:-	75.32		
93	शासकीय आबादी	234/2	1.200	जसवंत पिता पूरन सौर	दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत खपरा फर्श कच्चा	29.60	निरक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी पाटे खपरा फर्श कच्चा दहलान	18.50		
					शौचालय	1.44		
					कुल योग:-	49.54		
94	शासकीय आबादी	234/2	1.200	सतोष पिता खिलान सौर	दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत खपरा फर्श कच्चा	26.00	निरक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी पाटे खपरा फर्श कच्चा दहलान	16.25		
					शौचालय	1.44		
					कुल योग:-	43.69		

95	शासकीय आबादी	234/2	1.200	खिलान पिता सिम्मे सौर	दीवाल पत्थर, मिट्टी की छत, टीनशेड फर्श कच्चा गौशाला।	17.76	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी पाटे खपरा फर्श कच्चा दहलान	16.20		
					दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत खपरा फर्श कच्चा	12.00		
					दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत खपरा फर्श कच्चा गौशाला	29.10		
					कुल योग:-	75.06		
96	शासकीय आबादी	234/2	1.200	प्रमोद पिता पूरन सौर	दीवाल पत्थर, मिट्टी की छत, टीनशेड फर्श कच्चा	29.40	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी की छत पन्नी फर्श कच्चा	15.40		
					कुल योग:-	44.80		
97	शासकीय आबादी	234/2	1.200	चंदा वेवा परमानंद अहिरवार	दीवाल पत्थर मिट्टी छत खपरा फर्श कच्चा	17.49	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत खपरा फर्श कच्चा	39.06		
					शौचालय	1.44		
					नहानी ओपन कच्ची	3.45		
					निरंक	0.00		
98						0.00	हीराबाई पति अर्जन अहिरवार	हाँ
99						0.00	विकास पिता परमानन्द अहिरवार	हाँ
					कुल योग:-	61.44		
100	शासकीय आबादी	234/2	1.200	1 मनोज पिता हरलाल 2 नेतराम पिता हरलाल धानक	दीवाल पत्थर मिट्टी छत खपरा फर्श कच्चा	23.80	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी फर्श कच्चा	17.50		
					शौचालय	1.44		
					कुल योग:-	42.74		
101	शासकीय आबादी	234/2	1.200	मनीराम पिता हरलाल धानक	दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी पाटे फर्श कच्चा	28.80	निरंक	हाँ
					कुल योग:-	28.80		
102	शासकीय आबादी	238	1.110	माखनसिंह पिता राजेन्द्र सिंह ठाकुर	दीवाल पत्थर छत टीनशेड फर्श कच्चा	36.30	निरंक	हाँ
					शौचालय	3.36		
					नहानी ओपन कच्ची	4.40		
					बाउड्रीबाल पक्की ईट की	12.60		
103						0.00	दीप्ती पुत्री माखन सिंह	हाँ
104						0.00	मानवेन्द्र सिंह पिता माखन सिंह	हाँ
					कुल योग:-	56.66		

105	शासकीय आबादी	238	1.110	राजेन्द्र पिता हम्मीर सिंह दांगी	दीवाल पत्थर मिट्टी छत खपरा फर्श कच्चा	27.60	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत खपरा फर्श कच्चा दहलान	18.00		
					शौचालय	1.44		
					दीवाल ईट की पक्की	36.40		
					कुल योग:-	83.44		
106	शासकीय आबादी	234/2	1.200	तुलसीराम पिता मोहन	दीवाल पत्थर मिट्टी छत खपरा फर्श कच्चा	35.00	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी की छत पाटे फर्श कच्चा	21.00		
107	शासकीय आबादी	234/2	1.200	मोहन पिता भबूती	दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी की पाटे फर्श कच्चा	21.83	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी की पाटे फर्श कच्चा दहलान।	14.16		
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी की पाटे फर्श कच्चा गौशाला।	12.90		
					दीवाल ईट की छत शेष	15.60		
					शौचालय	1.44		
108	शासकीय आबादी	234/2	1.200	मल्थू पिता राजाराम आदिवासी	दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी पन्नी फर्श कच्चा	22.32	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी की पाटे फर्श कच्चा	4.18		
					पत्थर की बाउन्डी बनी	7.42		
					निरंक	0.00		
109							त्रिन्दावन सौर पिता मल्थू सौर	हाँ
					कुल योग:-	33.92		
110	शासकीय आबादी	234/2	1.200	परमलाल पिता राजाराम	दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी की पाटे फर्श कच्चा	14.80	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी की पाटे फर्श कच्चा	28.12		
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी की पाटे फर्श कच्चा	20.64		
					दीवाल पत्थर मिट्टी की छत शेष।	19.38		
					पत्थर की बाउन्डी बनी	7.00		
					शौचालय पक्का	1.44		

111	शासकीय आबादी	234/2	1.200	नारायण पिता परमानंद सौर	दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी की पाटे फर्श कच्चा	14.88	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी की पाटे फर्श कच्चा दहलान।	12.00		
					पन्नी की झोपडी	6.44		
					शौचालय पक्का	1.44		
					कुल योग:-	34.76		
112	शासकीय आबादी	234/2	1.200	परमानंद पिता घसीटे सौर	दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी की पाटे फर्श कच्चा	14.88	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी की पाटे फर्श कच्चा दहलान।	12.96		
					कुल योग:-	27.84		
113	शासकीय आबादी	234/2	1.200	सुमेर पिता परमानंद सौर	दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी की पाटे फर्श कच्चा	21.46	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी की पाटे फर्श कच्चा	17.40		
					लकड़ी पन्नी की झोपडी	7.59		
					कुल योग:-	46.45		
114	शासकीय आबादी	234/2	1.200	जालम पिता सिम्मे सौर	दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी की पाटे फर्श कच्चा	46.74	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी की पाटे फर्श कच्चा	33.99		
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी की पाटे फर्श कच्चा	15.95		
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी की पाटे फर्श कच्चा दहलान	12.10		
					लकड़ी पन्नी की झोपडी	10.25		
					शौचालय	1.44		
					कुल योग:-	120.47		
115	शासकीय आबादी	234/2	1.200	आशाराम पिता अर्जुन	दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी की पाटे फर्श कच्चा	48.96	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी की पाटे फर्श कच्चा	27.28		
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी की पाटे फर्श कच्चा	36.08		
					सी एम आवास योजना आर.सी.सी. पक्का	14.50		
					पानी की टैंक	7.00		
116					निरंक	0.00	सुमन पुत्री आशाराम	हाँ
					कुल योग:-	133.82		

117	शासकीय आबादी	238	1.110	बलराम पिता खिलान सींग	दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी की पाटे फर्श कच्चा	18.24	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर की छत शेष	19.20		
					दीवाल पत्थर मिट्टी की शौचालय	14.80		
					चबूतरा कच्चा	1.44		
					कुल योग:-	7.00		
					60.68			
118	शासकीय आबादी	238	1.110	गुबंदी पिता पंचे सौर	दीवाल पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी खपरा फर्श कच्चा	15.84	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी खपरा फर्श कच्चा	36.40		
					दीवाल पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी खपरा फर्श कच्चा गोशाला	18.25		
					शौचालय	1.44		
					कुल योग:-	71.93		
119	शासकीय आबादी	238	1.110	रनधीर पिता धरमू	दीवाल पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी खपरा फर्श कच्चा दहलान	13.92	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी खपरा फर्श कच्चा	12.00		
					दीवाल पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी खपरा फर्श कच्चा	16.80		
					कुल योग:-	42.72		
120	शासकीय आबादी	238	1.110	धरमू पिता पंचे	दीवाल पत्थर मिट्टी की छत टीनशेड फर्श कच्चा	18.90	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी की छत खपरा फर्श कच्चा	31.20		
					दीवाल पत्थर मिट्टी की छत खपरा फर्श कच्चा	19.00		
					शौचालय	1.44		
					दीवाल पत्थर मिट्टी की छत खपरा फर्श कच्चा	18.60		
121					निरंक	0.00	राजधर पिता धररचंद्र	हाँ
122					निरंक	0.00	घनश्याम पिता धरमचंद्र	हाँ
					कुल योग:-	89.14		
123	शासकीय आबादी	238	1.110	हरीराम पिता पंचे सौर	दीवाल पत्थर मिट्टी की छत खपरा फर्श कच्चा	30.02	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी की छत टीनशेड फर्श कच्चा	24.49		
					कुल योग:-	54.51		

124	शासकीय आबादी	238	1.110	शिवराम पिता भन्नू चढार	दीवाल पत्थर मिट्टी की छत खपरा फर्श कच्चा	32.67	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी की छत टीनशेड फर्श कच्चा	29.70		
					कुल योग:-	62.37		
125	शासकीय आबादी	238	1.110	मन्नू पिता सुक्के चढार	दीवाल ईट पत्थर की लकड़ी पाटे फर्श कच्चा मुख्यमंत्री आवास योजना गोशाला	34.71	निरंक	हाँ
					शौचालय पक्का	40.26		
					शौचालय पक्का	1.44		
	शासकीय	197/1	30.060		दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी पन्नी, फर्श कच्चा, भूसाघर	16.92	निरंक	नहीं
126					निरंक	0.00	धीरज पिता मन्नू	हाँ
					कुल योग:-	93.33		
127	शासकीय आबादी	238	1.110	लटोरी पिता सुक्के चढार	दीवाल मिट्टी की छत खपरा फर्श कच्चा	28.71	निरंक	हाँ
					दीवाल ईट पत्थर की लकड़ी पाटे फर्श कच्चा	16.80		
					दीवाल पत्थर मिट्टी की छत टीनशेड फर्श कच्चा दहलान	22.62		
					झोपड़ी पन्नी लकड़ी	10.26		
					शौचालय पक्का	1.44		
					नहानी ओपन कच्ची	4.00		
					दीवाल पत्थर मिट्टी की	6.20		
					कुल योग:-	90.03		
128	शासकीय आबादी	238	1.110	प्रानसिंग पिता लटोरी चढार	दीवाल ईट पत्थर की लकड़ी पाटे फर्श कच्चा	16.80	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी की छत टीनशेड फर्श कच्चा	20.10		
					शौचालय पक्का	1.44		
					दीवाल पत्थर मिट्टी की	7.00		
					दीवाल पत्थर मिट्टी की	9.18		
					कुल योग:-	54.52		
129	शासकीय आबादी	238	1.110	नत्थू पिता प्यारेलाल सौर	दीवाल ईट पत्थर की लकड़ी पाटे फर्श कच्चा	15.50	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी की छत टीनशेड फर्श कच्चा	12.00		
					दीवार लकड़ी की पन्नी की फर्श कच्चा	17.50		
					लकड़ी पन्नी का घर	19.80		
					लकड़ी का घर	14.10		
					शौचालय पक्का	1.44		
130					निरंक	0.00	संजय सौर पिता नत्थू सौर	हाँ
					कुल योग:-	80.34		

131	शासकीय आबादी	238	1.110	घनश्याम पिता नत्थू सौर	दीवाल ईट पत्थर की लकड़ी पाटे फर्श कच्चा	24.18	निरंक	हाँ
					दीवाल ईट पत्थर की लकड़ी पाटे फर्श कच्चा दहलान	12.40		
					आंगन ओपन कच्चा	1.44		
					कुल योग:-	38.02		
132	शासकीय आबादी	238	1.110	इमरत पिता रामदीन प्रजापति	दीवाल ईट पत्थर की छत खपरा फर्श कच्चा	38.64	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर की लकड़ी पाटे फर्श कच्चा	9.99		
					कुल योग:-	48.63		
133	शासकीय आबादी	238	1.110	बलराम उर्फ बल्लू पिता इमरत प्रजापति	दीवाल पत्थर मिट्टी की छत खपरा फर्श कच्चा	36.40	निरंक	हाँ
					दहलान गौशाला	12.10		
					दीवाल पत्थर मिट्टी की छत खपरा फर्श कच्चा	7.56		
					शौचालय पक्का	1.44		
					कुल योग:-	57.50		
134	शासकीय आबादी	238	1.110	पूरन पिता गोरिलाल सौर	दीवाल पत्थर मिट्टी की छत खपरा फर्श कच्चा	20.40	निरंक	हाँ
					टीनशेड गौशाला	9.20		
					दीवाल पत्थर मिट्टी की छत पन्नी फर्श कच्चा	8.40		
					दीवाल ईट की छत गाटर फर्श फर्श पक्का	32.86		
					शौचालय पक्का	1.44		
					कुल योग:-	72.30		
135	शासकीय आबादी	238	1.110	मनोहर सिंह पिता राजेन्द्र सिंह दांगी	दीवाल पत्थर मिट्टी की छत खपरा फर्श कच्चा	35.67	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर मिट्टी की छत खपरा फर्श कच्चा दहलान	25.23		
					दीवाल ईट की पक्की छत आर सी.सी. फर्श पक्का	45.36		
					शौचालय	2.00		
					कुल योग:-	108.26		
136	शासकीय आबादी	252	1.160	रघुराजसिंह पिता फूलसिंह राजपूत	दीवाल ईट की पक्की छत आर सी.सी. फर्श पक्का मू-तल	72.32	निरंक	हाँ
					दीवाल ईट की पक्की छत आर सी.सी. फर्श पक्का प्रथम तल	72.32		
					सीडी	3.50		
					शौचालय पक्का	1.44		
	शासकीय आबादी	238	1.110		दीवाल पत्थर की छत खपरेल सीमेंट सीट फर्श कच्चा	42.84		
					दीवाल पत्थर की छत टीनशेड फर्श कच्चा	30.60		
					कुल योग:-	223.02		

137	शासकीय आबादी	252	1.160	ब्रजेन्द्र सिंह पिता रघुराजसिंह राजपूत	दीवाल ईट की पक्की छत गाटर फर्शी फर्श पक्का	30.66	निरंक	हाँ
					दीवाल पत्थर की पक्की छत लकड़ी पाटे फर्श कच्चा गौशाला	38.76		
					दीवाल ईट की छत लोहा टीनशेड फर्श पटिया	43.52		
					मकान पक्का	5.88		
					शौचालय	2.55		
					दीवाल ईट पत्थर की लकड़ी पाटे फर्श कच्चा	17.22		
					कुल योग:-	138.59		
138	शासकीय आबादी	252	1.160	अजय सिंह पिता रामेश्वर राजपूत	दीवार पत्थर मिट्टी की पाटे लकड़ी खपरा फर्श कच्चा।	30.15	निरंक	हाँ
					दीवार पत्थर मिट्टी की पाटे लकड़ी खपरा फर्श कच्चा।	30.15		
					दीवाल ईट की पक्की छत आर सी सी फर्शी फर्श पक्का	29.16		
					टीनशेड पटिया	17.42		
					भूषाघर	25.92		
					कुल योग:-	132.80		
139	शासकीय आबादी	252	1.160	रमेशसिंह पिता खुशीलाल सिंह	दीवार पत्थर की छत पाटे फर्श पटिया	59.85	निरंक	हाँ
					दीवार पत्थर की छत पाटे फर्श पटिया	59.85		
					दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी पाटे फर्श कच्चा	22.44		
					दीवार पत्थर की उचाई	15.75		
					कुल योग:-	157.89		
140	शासकीय आबादी	252	1.160	लक्ष्मी प्रसाद पिता रामगुलाम ब्रा०	दीवार पत्थर की छत लकड़ी फर्श पक्का	50.00	निरंक	हाँ
					दीवाल ईट की पक्की गाटर फर्शी फर्श पक्का	21.35		
					दीवाल पत्थर मिट्टी की पाटे लकड़ी खपरा फर्श कच्चा दहलान	17.00		
					शौचालय	2.72		
					निरंक	0.00		
141					कुल योग:-	91.07	मुस्कान पुत्री लक्ष्मीप्रसाद	हाँ
142	शासकीय आबादी	252	1.160	प्रेमबाई पति रामेश्वर सिंह राजपूत	दीवार ईट पत्थर की लकड़ी पाटे फर्श कच्चा।	35.20	निरंक	नहीं
					दीवार ईट पत्थर की लकड़ी पाटे फर्श कच्चा डबल मंजिल	16.34		

					दीवार ईट पत्थर की लकड़ी पाटे फर्श कच्चा डबल मंजिल	16.34		
					शौचालय	7.04		
					कुल योग:-	74.92		
143	महुनाजाट	252	1.160	प्रहलाद सिंह पिता मोहन सिंह दांगी	दीवार पत्थर की छत टीनशेड फर्श पटिया।	40.12	निरंक	हाँ
					दीवार पत्थर की छत लकड़ी की खपरा फर्श पटिया गौशाला	41.30		
					दीवार पत्थर की छत लकड़ी की खपरा फर्श पटिया	86.14		
					दीवार पत्थर की छत लकड़ी की खपरा फर्श पटिया दहलान	28.32		
					दीवार पत्थर की पक्की छत फर्श पक्का	44.16		
					दीवार पत्थर की पाटे फर्श पक्का	10.85		
					नहानी पक्की	17.50		
					जीना	4.84		
					कुल योग:-	273.23		
144	शासकीय आबादी	252	1.160	वीरेन्द्र पिता प्रहलाद सिंह	दीवाल ईट की पक्की छत आर सी सी ।	23.80	निरंक	हाँ
					दीवाल ईट की पक्की छत पाटे की फर्श पक्का	25.55		
					दीवार पत्थर की छत लकड़ी की खपरा फर्श पटिया	51.52		
					दीवार पत्थर की छत लकड़ी की खपरा फर्श पटिया	46.50		
					दीवार पत्थर की छत लकड़ी की खपरा फर्श पटिया	27.44		
					दीवार पत्थर की छत लकड़ी की खपरा फर्श पक्का।	31.16		
					दीवार पत्थर की छत लकड़ी की खपरा फर्श पक्का।	31.16		
					दीवाल पत्थर की छत आर सी सी फर्श पक्का ।	9.50		
					दहलान पाटे की।	6.97		
					टीनशेड	25.16		
145					निरंक	0.00	रविन्द्र सिंह पिता वीरेन्द्र सिंह दांगी	हाँ

146					निरंक	0.00	मेघा सिंह पिता वीरेन्द्र सिंह दागी	हाँ
147					निरंक	0.00	आर्यमान सिंह पिता वीरेन्द्र सिंह	हाँ
					कुल योग:-	278.76		
148	रामरतन पिता दरयाव सिंह राजपूत	291/342	0.090	हाकम सिंह पिता रामरतन सिंह	दीवार ईट की छत टीनशेड फर्श कच्चा	18.8	निरंक	नहीं
					दीवार लकड़ी के पीलर छत लकड़ी पन्नी फर्श कच्चा	17.16		
					दीवार ईट की छत टीनशेड फर्श कच्चा	11.2		
					कुल योग:-	35.96		
149	खुशीलाल पिता दरयावसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	226/2	0.040	रनजीत सिंह पिता खुशीलाल सिंह दांगी	दीवार पत्थर की छत पाटे फर्श पटिया गौशाला	38.13	निरंक	नहीं
					दीवार पत्थर की छत लकड़ी, टीनशेड फर्श पटिया गौशाला	39.99		
					पानी की टंकी	1.17		
					कुल योग:-	79.29		
150	संतोष कुमार पिता शिखर चंद जैन	170	0.080	संतोष कुमार पिता शिखर चंद जैन	दीवार ईट की पक्की, छत टीनशेड, फर्श पक्का, भूसाघर	66.00	निरंक	नहीं
					दीवार ईट की लकड़ी पाटे फर्श पटिया की	30.60		
					दीवार ईट की पक्की, छत लकड़ी नाटे पाटे फर्श पटिया	70.04		
					दीवार ईट की पक्की, छत लकड़ी नाटे पाटे फर्श पटिया	36.48		
					दीवार ईट की, छत लकड़ी पाटे फर्श पटिया की	54.24		
					दीवार ईट की छत आर सी सी फर्श पक्का	18.72		
					दीवार ईट की छत आर सी सी फर्श पक्का	18.72		
					दीवार ईट की पक्की, छत पाटे फर्श कच्चा	46.40		
					चबूतरा पत्थर का	18.29		
					चबूतरा पत्थर का	12.71		
		335	9.150		दीवार ईट की, छत पोशे, फर्श पक्का	9.92		
					दीवार ईट की, छत पोशे, फर्श पक्का	15.73		
					कुल योग:-	397.85		
151	रामबाबू सिंह किशनसिंह पिता दरयाव सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी	179	0.040	रामकिशन सिंह राजपूत पिता फूलसिंह	दीवार ईट की पक्की, छत पाटे की, फर्श पक्का डबल मंजिल	12.88	निरंक	नहीं
					दीवार ईट की पक्की, छत पाटे की, फर्श पक्का डबल मंजिल	12.88		
					दीवार ईट की पक्की, छत गाटर फर्शी, फर्श पक्का	66.40		

					छत लोहे का गाटर टीनशेड फर्श पक्का	18.49		
					शौचालय	6.75		
					दीवार ईट की छत , आर.सी.सी फर्श पक्का	31.64		
	शासकीय आबादी	238	1.110		दीवाल ईट की छत खपरैल फर्श कच्चा	43.86		
					दीवाल पत्थर की	10.44		
					कुल योग:-	203.34		
152	शासकीय	197/1	30.60	महेन्द्र पिता कम्मोद अहिरवार	दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी पाटे, फर्श कच्चा	23.56	निरंक	नहीं
					दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी पाटे, फर्श कच्चा, भूसाघर	9.66		
					दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी पाटे, फर्श कच्चा दहलान	4.60		
					नहानी पक्की	4.00		
					शौचालय	1.44		
					कुल योग:-	43.26		
153	शासकीय	197/1	30.060	सोनू पिता बसंत अहिरवार	दीवाल पत्थर की छत लकड़ी/नाटे/पाटे फर्श कच्चा	19.60	निरंक	नहीं
					दीवाल पत्थर की छत लकड़ी/नाटे/पाटे फर्श कच्चा	12.25		
					कुल योग:-	31.85		
154	शासकीय	197/1	30.060	भगवानदास पिता बल्लू अहिरवार	दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी खपरा, फर्श कच्चा, भूसाघर	21.50	निरंक	नहीं
					कुल योग:-	21.50		
155	शासकीय	197/1	30.060	संतोष पिता साहब सिंह	दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी पाटे खपरा, फर्श कच्चा भूसाघर	23.10	निरंक	नहीं
					दीवार पत्थर की पक्की, छत लकड़ी पाटे खपरा, फर्श कच्चा	11.55		
					कुल योग:-	34.65		
156	शासकीय	197/1	30.060	चिरोजीबाई पत्नि हल्काई	दीवाल ईट की छत लकड़ी पाटे खपरा फर्श कच्चा	16.20	निरंक	नहीं
					कुल योग:-	16.20		
157	शासकीय वन	199	2.770	धर्मन्द्र पिता सवालसिंह राजपूत	दीवार पत्थर मिट्टी की छत शेष	37.80	निरंक	नहीं
					दीवाल ईट की छत गाटर फर्श पक्का	21.83		
					दीवाल ईट की छत शेष	15.54		
					कुल योग:-	75.17		

158	शासकीय वन	232/1	2.040	सलतू पिता राजाराम	शौचालय पक्का	1.44	निरंक	नहीं
					कुल योग:-	1.44		
159	शासकीय वन	232/1	2.040	बाबूलाल पिता गुलाब अहिरवार	दीवाल ईट की छत टीनशेड फर्श कच्चा	32.55	निरंक	नहीं
					दीवाल पत्थर मिट्टी की छत लकड़ी पन्नी की फर्श कच्चा	26.04		
					नहानी ओपन कच्ची	4.00		
					कुल योग:-	62.59		
160	शासकीय वन	232/1	2.040	दीनदयाल पिता धन्नु	दीवाल ईट की छत टीनशेड फर्श कच्चा	28.42	निरंक	नहीं
					कुल योग:-	28.42		
161	शासकीय वन	232/1	2.040	सुकुनबाई पति कंडोरी	दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी पाटे खपरा फर्श कच्चा	12.48	निरंक	नहीं
					कुल योग:-	12.48		
162	शासकीय वन	232/1	2.040	राजशानी पति रघुवीर अहिरवार	दीवार ईट की, छत टीनशेड, फर्श कच्चा	16.34	निरंक	नहीं
					दीवार ईट की, छत टीनशेड, फर्श कच्चा	9.46		
					कुल योग:-	25.80		
163	शासकीय वन	232/1	2.040	चरणसिंह पिता मिहीलाल	शौचालय पक्का	1.44	निरंक	नहीं
					कुल योग:-	1.44		
164	शासकीय चारागाह	233	7.523	गुड्डू रेकवार पिता मुलू	दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत टीनशेड फर्श कच्चा।	15.20	निरंक	नहीं
					दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत लकड़ी पाटे खपरा, फर्श कच्चा।	15.08		
					दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत लकड़ी पन्नी फर्श कच्चा, गौशाला।	28.80		
					दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत लकड़ी पन्नी फर्श कच्चा, भूषाघर।	20.40		
					लकड़ी पन्नी की दहलान	15.60		
					मुर्गी पालन घर	5.32		
					कुल योग:-	100.40		
165	शासकीय चारागाह	233	7.523	परमानंद पिता मानसींग	दीवाल पत्थर की पन्नी फर्श कच्चा गौशाला	21.30	निरंक	नहीं
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकड़ी पाटे खपरा फर्श कच्चा	10.80		
					कुल योग:-	32.10		
166	शासकीय आबादी	234/2	1.200	चंद्रभान सिंह पिता बहादुरसिंह	दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत टीनशेड, फर्श कच्चा।	25.52	निरंक	नहीं
					कुल योग:-	25.52		

167	शासकीय आबादी	234/2	1.200	बहादुर पिता गुलाबसिंह दांगी	दीवाल ईट की पक्की छत लकडी पाटो की सी सी फर्श पक्का	32.76	निरंक	नहीं
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकडी पन्नी फर्श कच्चा गौशाला	19.72		
					शौचालय	2.56		
					दीवाल ईट की पक्की छत लकडी पाटो की सी सी फर्श पक्का	39.00		
					दीवाल ईट की बाउण्ड्रीवाल	17.94		
					दीवाल पत्थर की पक्की	5.10		
					कुल योग:-	117.08		
168	शासकीय आबादी	234/2	1.200	भूपेन्द्र पिता मर्दन सिंह दांगी	दीवाल पत्थर की लकडी पाटे फर्श कच्चा आवासीय।	15.40	निरंक	नहीं
169	शासकीय आबादी	234/2	1.200	जगदीश पिता परमानंद सौर	दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकडी की पाटे फर्श कच्चा	9.75	निरंक	नहीं
170	शासकीय आबादी	238	1.110	मालिक सिंह पिता रंजीत सिंह ठाकुर	दीवाल पत्थर मिट्टी छत शेष क्षतिग्रस्त।	51.98	निरंक	नहीं
					दीवाल पत्थर मिट्टी छत शेष क्षतिग्रस्त दहलान।	24.86		
					खण्डहर क्षतिग्रस्त	20.52		
170	शासकीय आबादी	238	1.110	ऊधम पिता गोरेलाल आदिवासी	दीवाल पत्थर मिट्टी की छत खपरा फर्श कच्चा	28.47	निरंक	नहीं
172	शासकीय आबादी	252	1.160	अरविन्द सिंह पिता रघुराजसिंह राजपूत	दीवाल पत्थर की पक्की छत लकडी पाटे फर्श कच्चा	29.25	निरंक	नहीं
					दीवाल पत्थर की पक्की छत लकडी पाटे फर्श कच्चा दहलान	19.50		
					दीवाल ईट की पक्की छत गाटर फर्शी फर्श पक्का	11.76		
					शौचालय	5.88		
					दीवाल पत्थर की पक्की छत लकडी पाटे फर्श कच्चा	32.04		
					दीवाल पत्थर की पक्की छत लकडी पाटे फर्श कच्चा	21.36		
					महायोग:-	9500.17		

2- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

- (1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।
- (2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
- (3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।
- (4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा।
- (5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना ; या
(ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रुपये का एक बारगी संदाय ; या
(ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रुपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा।
- (6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रुपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
- (7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- (8) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या ऐसे प्रभावित कुटुंब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर-कृषिक भूमि या वाणिज्यिक औद्योगिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिदिष्ट करें।
- (9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए।
- (10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रुपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा।
- (11) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टाम्प शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा।
- (12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
- (13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा।

- (14) अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यक्ष प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें। युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी।
- (14.1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
- (14.2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं।
- (14.3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
- (14.4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था।
- (14.5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
- (14.6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
- (14.7) यथेचित पंचायत घर
- (14.8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए।
- (14.9) जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
- (14.10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
- (14.11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
- (14.12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
- (14.13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
- (14.14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
- (14.15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- (14.16) बच्चों के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
- (14.17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
- (14.18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल/वृक्ष चौतरा
- (14.19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
- (14.20) मानकों के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र।
- (15) प्रभावित कुटुंबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील खुरई के ग्राम जगदीशपुरा में शासकीय भूमि खसरा नम्बर 57 का कुल रकवा 15.460 हे. में से रकवा 13.71 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-0102अ/19(3) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 03/03/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है तथा मौजा जगदीशपुरा स्थित भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि खसरा नंबर 49, 52 रकवा क्रमशः 7.130, 0.930 हे. भूमि प्रभावित कुटुंबों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु अर्जित की गई है जिस पर हनौता सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक-एक 50X20 वर्गफुट का आवासीय भू-खण्ड आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी।

- (16) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होंगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।
- (17) अधिनियम की धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/कुटुंब को दिया जावेगा।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुर्नवास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खुरई जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 12/05/2023 को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खुरई जिला सागर एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग हनौता सिंचाई परियोजना सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन), कटनी, जिला कटनी, मध्यप्रदेश

क्र. 3487-प्रवा.-जि.भू.अ.अ.-2023

कटनी, दिनांक 17 अप्रैल 2023

प्रकरण क्रमांक- 0001/अ-82/2019-2020

चूंकि म0प्र0 शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अधिसूचना दिनांक 12/11/2014 एवं राजपत्र दिनांक 14/11/2014 के अंतर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिए समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है। इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम लोक निर्माण सेतु संभाग रीवा उपसंभाग शहडोल के बरनमहगवां-सुतरी-खरहटा मार्ग पर उमरार नदी सुतरी घाट पर पुल निर्माण योजना के शीर्ष कार्य से प्रभावित ग्राम सुतरी की भूमि की आवश्यकता है। जिसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमिस्वामी द्वारा नीति की कण्डिका-10 के अंतर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप "ख" में सहमति प्रस्तुत कर दी है।

क्रय नीति की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कण्डिका 11(क) के अंतर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिए यह सूचना जारी की जा रही है कि भूमि विभाग के पक्ष में क्रय किए जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो यह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयराघवगढ़/बरही जिला कटनी में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है। नियम अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

आपसी क्रय नीति के तहत क्रय किए जाने वाली भूमियों का विवरण
ग्राम सुतरी पटवारी हल्का नं०-16 रा0नि0मं0- बरही तहसील-बरही जिला-कटनी

क्र.	ग्राम का नाम	प.ह. नं.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	क्रय रकबा(हे./वर्ग मीटर)
1	सुतरी	16	मु. जुगुन्तीबाई पत्नी स्व. रनमत, मुन्नीबाई, भग्गो बाई, बुइया बाई आ. रनमत, हरिआ आ. सुखुवा, सब्भा, पुन्नू आ. छोटी, राजकुमार आ. नम्मी, विल्ली पुत्री छोटी, बशरह भूमिया	592/1 592/2 592/3	0.110 0.110 0.110	0.010 हे./100 वर्ग मीटर
2	सुतरी	16	अर्जुन आ. मल्ला जाति भूमिया	593	0.240	0.121 हे./ 1210 वर्ग मी.
3	सुतरी	16	बाला प्रसाद, अम्बिका प्र., कोमल, गोविंददास, रघुनाथ आ. रामदयाल दाहिया पता- निवासी ग्राम भूमिस्वामी	594	0.810	0.004 हे./ 40 वर्ग मीटर
योग					1.380	0.135 हे./ 1350 वर्गमीटर

अवि प्रसाद, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 3 मई 2023

प्रकरण क्रमांक 011/अ-82/2022-23 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

—: अनुसूची :-

- भूमि का वर्णन
(क) जिला - सीहोर
(ख) तहसील - श्यामपुर
(ग) ग्राम - बमुलिया दोराहा
(घ) क्षेत्रफल - 2.384 हैं.

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा	स्थित परिसम्पत्ति	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1	मकसुदअली पुत्र इशाकअली जाति सैयद हि. 1/5, इरशादअली पुत्र इरशाकअली जाति सैयद हि. 1/5, अशफाकअली पुत्र इरशाकअली जाति सैयद हि. 1/5, वाहीदअली पुत्र इरशाकअली जाति सैयद हि. 1/5, बन्नोबी बेवा इरशाकअली रईशा लईका तमनना सलमा पुत्रीया इरशाकअली जाति सैयद हि. 1/5 पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	2/1/1	2.239	0.200		

2	सचिव नरेन्द्रानंद पिता मदनलाल दिव्य ज्योति जाग्रति संस्थान द्वारा जाति अन्य पता नई दिल्ली दिल्ली भूमि स्वामी	15/4/1	0.331	0.040		
		18/1/1	1.846	0.330		
3	अमरसिंह पुत्र खुशीलाल जाति चमार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	26/6/1	0.948	0.348		
4	भंवरजी पुत्र नाथूराम जाति चमार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	57/3/1	0.374	0.040		
5	ब्रजकिशोर पिता श्रीलाल जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	62/4	2.051	0.350		
6	वृन्दावनबा ज्ञानसिंह सोनु पिता सुकराम रेखा बा लक्ष्मी रानी विद्या ना बा पुत्री सुकराम कलाबाई बेवा सुकराम सर माता स्वयं जाति चमार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	57/1	0.385	0.385		
7	शायदाबी पत्नी कमर अली जाति सैय्यद पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	39/1/2	0.348	0.348		
8	कपिल पिता धन सिंह जाति जाट निवासी पड़याला सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	70/5/1	1.598	0.242		
9	लाखन पिता धन सिंह जाति जाट निवासी पड़याला सीहोर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी	70/2/2	0.856	0.101	पक्का कुआं	
कुल योग :-		10	10.976	2.384		

1. भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक 018/अ-82/2022-23 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

-: अनुसूची :-

भूमि का वर्णन

(क) जिला-सीहोर, (ख) तहसील-श्यामपुर, (ग) ग्राम-घाटपलासी, (घ) क्षेत्रफल-3.058 हे.

स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा	स्थित परिसम्पत्ति	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1	कमलसिंह पुत्र कालूराम जाति बंजारा पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	5/3/1	0.439	0.070		
2	कल्लूराम पिता सेवाराम जाति बंजारा पता घाटपलासी श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	8/2/1	0.708	0.020		
3	कमलाबाई बेवा जेगन्नाथ दशरथसिंह पर्वतसिंह जितेन्द्र पुत्र जगन्नाथ द्रोपती बाई सुधाबाई फुल्लाबाई पुत्रिया जगन्नाथ जाति दांगी पता श्यामपुर सीहोर म प्र भूस्वामी	50/2/1	1.599	0.040		

4	नवलसिंह पुत्र गोपीलाल जाति बंजारा पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	26/1/1	0.099	0.040		
5	शौकीनखां पुत्र हीरेखां जाति सैयद पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	26/27/1	0.611	0.225		
6	मांगीलाल पुत्र जगन्नाथ जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	27/3/1/1	4.286	0.324		
7	मोरसिंह पुत्र गोपी जाति बंजारा पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	26/29/1	0.517	0.150		
8	वल्दार पुत्र नंदा जाति बंजारा पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	8/8/2/1	0.092	0.060		
9	प्रेमनारायण पुत्र परसराम जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	175/1/1	1.416	0.170		
10	माजिद खान पिता छोटेखां जाति मेवाती पता श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	174/7/1	0.474	0.125		
11	देवेन्द्र पिता मांगीलाल जाति दांगी पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	81/2	0.419	0.050		
12	कस्तूरी बाई बेवा दौलतसिंह जाति बंजारा पता घाटपलासी सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	26/24	0.161	0.100		
13	बद्रीप्रसाद पुत्र बापूलाल जाति पाटीदार पता घाटपलासी सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	45/5/1	0.235	0.040		
14	प्रेमनारायण पिता उकारसिंह हि. 1/5, हेमसिंह पिता उकार हि. 1/5, कमलीबाई पुत्री उकार हि. 1/5, सजनीबाई पुत्री उकार हि. 1/5, कस्तूरीबाई बेवा दौलतराम लखन पिता दौलतराम हि. 1/5 जाति बंजारा पता घाटपलासी सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	45/5/2	0.129	0.050		
15	छोटेखां पुत्र कल्लूखां जाति सैयद पता घाटपलासी सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	26/26	0.911	0.160		
16	रमियाबाई पत्नी प्रेमनारायण जाति बंजारा पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	26/33	0.147	0.060		
17	गणेशराम पुत्र गोरेलाल जाति बंजारा पता घाटपलासी सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	26/13	0.060	0.030		
18	सुधा अहिरवार पत्नी एस एल अहिरवार जाति अहिरवार पता भोपाल भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	27/2 28/2	4.047	0.809		टयूबवेल
19	रवि कुमार पुत्र रमेश जाति ब्राह्मण पता नि ग्राम भूमि स्वामी सीहोर मध्य प्रदेश	472/2/1	1.987	0.105		टयूबवेल
20	टीकाराम पुत्र बल्देव जाति चमार पता नि ग्राम भूमि स्वामी सीहोर मध्य प्रदेश	45/4	0.518	0.030		
21	सहाना पत्नी असद जाति मेवाती पता नि ग्राम भूमि स्वामी सीहोर मध्य प्रदेश	45/13	0.281	0.090		कुआ
22	बद्रीप्रसाद पुत्र हरभजन जाति नाई पता घाटपलासी सीहोर मध्य प्रदेश	79/2	1.795	0.200		
23	जयराम पुत्र गंगाराम जाति बंजारा पता घाटपलासी सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	45/10	0.405	0.110		
कुल योग :-		23	21.336	3.058		

1. भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सू-अर्जन अधिकारी तहसील श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक 19/अ-82/2022-23 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

—: अनुसूची :-

भूमि का वर्णन

(क) जिला—सीहोर, (ख) तहसील—श्यामपुर, (ग) ग्राम—छतरपुरा, (घ) क्षेत्रफल—2.866 हे.

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा	स्थित परिसम्पत्ति	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1	सौरभबाई पत्नी छोटेलाल नानीबाई पति कमलसिंह कोमलबाई पति ज्वालाप्रसाद जाति चमार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	2/5/2/2	0.525	0.270	कुआ	
2	ईमरतसिंह पिता दौलतीप्रसाद जाति कुडमी पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	54/1/2	0.283	0.283		
3	घनश्याम पिता मोतीलाल जाति कुडमी पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	54/2/2	0.308	0.308		
4	रामनारायण पुत्र जगन्नाथ जाति कुडमी पता सादेह सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	56/2	0.568	0.180	ट्यूबवेल	
5	महेश पिता लीलाकिशन रीना पुत्री लीलाकिशन जाति कुडमी पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	56/3	0.263	0.263	ट्यूबवेल	
6	बंशीलाल पिता गोरेलाल जाति कुडमी पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी	58/7	0.612	0.250	ट्यूबवेल	
7	रामप्रसाद आठ सरदार जाति सेरिया निवासी ग्राम छतरपुरा अहस्तांतरणीय	61/3	2.000	1.312		
	कुल योग :-	7	4.559	2.866		

1. भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रवीण कुमार अढायच, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 मई 2023

क्रमांक- Rev.6-0004/2022/सात/शा-7, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से जिला सीहोर में नवीन तहसील दोराहा का सृजन किया जाता है, जिसमें तहसील श्यामपुर के पटवारी हल्का नम्बर 16, 23 से 31 एवं 52 से 67 कुल 26 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। दोराहा तहसील के गठन पश्चात शेष श्यामपुर तहसील में पटवारी हल्का नम्बर 1 से 15, 17 से 22, 32 से 51 कुल 41 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नेहा मारव्या, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 12 मई 2023

क्र. Rev.6-0004-2022-सात-शा-7.— भारत सरकार के अनुच्छेद 348 के खण्ड (2) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक Rev.6-0004-2022-सात-शा-7, दिनांक 12 मई, 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नेहा मारव्या, उपसचिव.

Bhopal, the 12th May, 2023

No. Rev.6-0004/2022/ VII /Sec.7- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government hereby creates the new tahsil Doraha in the district Sehore, from the date of publication of this order in the official Gazette, which would comprise of 26 patwari halkas i.e. patwari halka no. 16, 23 to 31 and 52 to 67 of tahsil Shyampur.

After the formation of Doraha Tahsil, Tahsil Shyampur will now comprise of 41 patwari halkas i.e. patwari halka no. 1 to 15, 17 to 22, 32 to 51.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
NEHA MARVYA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 12 मई 2023

क्र.-एफ- Rev.6-0009-2023-सात-शा-7.— मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन तारीख से जिला मंदसौर में नवीन अनुविभाग मल्हारगढ़ का सृजन किया जाता है, जिसमें तहसील मल्हारगढ़ के समस्त पटवारी हल्का नम्बर 01 से 81 हल्के समाविष्ट होंगे। जिला मंदसौर में नवीन अनुविभाग मल्हारगढ़ के गठन उपरांत शेष अनुविभाग सीतामऊ में तहसील सीतामऊ के पटवारी हल्का नम्बर 01 से 74 तक एवं तहसील सुवासरा के पटवारी हल्का नम्बर 01 से 35 तक इस प्रकार कुल 109 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नेहा मारव्या, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 12 मई 2023

क्र.-एफ- Rev.6-0009-2023-सात-शा-7.— भारत सरकार के अनुच्छेद 348 के खण्ड (2) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक क्र.-एफ- Rev.6-0009-2023-सात-शा-7, दिनांक 12 मई, 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नेहा मारव्या, उपसचिव.

Bhopal, the 12th May, 2023

No. F-Rev-6-0009-2023-VII-Sec.-7.— **In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, creates new sub-division Malhargarh in District Mandsaur from the date of publication of this order in the Gazette, which would comprise of all patwari halka no. 01 to 81 of Tahsil Malhargarh.**

After the creation of Sub-division Malhargarh in district Mandsaur, Sub-division Sitamau would now comprise of 109 patwari halkas i.e. patwari halka no. 01 to 74 of Tahsil Sitamau and patwari halka no. 01 to 35 of Tahsil Suwasra.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
NEHA MARVYA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 12 मई 2023

क्रमांक- एफ-01-04/2022/सात/शा-7, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से जिला छतरपुर में नवीन अनुविभाग गौरीहार का सृजन किया जाता है, जिसमें तहसील गौरीहार के समस्त पटवारी हल्का नम्बर 01 से 74 तक इस प्रकार कुल 74 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। गौरीहार अनुविभाग के गठन पश्चात, शेष अनुविभाग लवकुशनगर में तहसील लवकुशनगर के पटवारी हल्का नम्बर 01 से 28 तक, कुल 28 पटवारी हल्के एवं तहसील चंदला के पटवारी हल्का नम्बर 01 से 39 तक कुल 39 पटवारी हल्के इस प्रकार कुल 67 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नेहा मारव्या, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 12 मई 2023

क्र.-एफ-01-04-2022-सात-शा-7.—भारत सरकार के अनुच्छेद 348 के खण्ड (2) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक क्र.-एफ-01-04-2022-सात-शा-7, दिनांक 12 मई, 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नेहा मारव्या, उपसचिव.

Bhopal, the 12th May, 2023

No. F- 01-04/2022/ VII /Sec.7- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, creates new sub-division Gaurihar in the District Chhatarpur from the date of publication of this order in the Gazette, which would comprise of all the 74 patwari halkas i.e. patwari halka no. 01 to 74 of the tahsil Gaurihar.

After the formation of sub-division Gaurihar, the Sub-division Lavkushnagar will now comprise of 67 patwari halkas i.e. patwari halka no. 01 to 28 in total 28 patwari halkas of tahsil Lavkushnagar and patwari halka no. 01 to 39 in total 39 patwari halkas of tahsil Chandla.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
NEHA MARVYA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 12 मई 2023

क्रमांक- एफ-01-10/2021/सात/शा-7, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से जिला देवास में नवीन अनुविभाग टोंकखुर्द का सृजन किया जाता है, जिसमें तहसील टोंकखुर्द के समस्त 60 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। जिला देवास में अनुविभाग टोंकखुर्द के गठन उपरांत शेष सोनकच्छ अनुविभाग में तहसील सोनकच्छ के सम्पूर्ण 69 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नेहा मारव्या, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 12 मई 2023

क्र.-एफ-01-10-2021-सात-शा-7.—भारत सरकार के अनुच्छेद 348 के खण्ड (2) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक क्र.-एफ-01-10-2021-सात-शा-7, दिनांक 12 मई, 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नेहा मारव्या, उपसचिव.

Bhopal, the 12th May, 2023

No. F-01-10/2021/VII/Sec.7- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, creates new sub-division Tonkkhurd in District Dewas from the date of publication of this order in the Gazette, which would comprise of all the 60 patwari halkas of tahsil 'Tonkkhurd.

After the formation of Sub-division 'Tonkkhurd in the district Dewas, the Sub-division Sonkutchh will now comprise of all the 69 patwari halkas of the tahsil Sonkutchh.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
NEHA MARVYA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 12 मई 2023

क्रमांक- एफ-01-18/2022/सात/शा-7, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से जिला खण्डवा में नवीन अनुविभाग खालवा का सृजन किया जाता है, जिसमें तहसील खालवा के रा.नि.मं. आशापुर के प.ह.नं. 01 से 06, 8 से 15, 43 से 49, 51, 52, कुल 23 पटवारी हल्के, रा.नि.मं. खालवा के प.ह.नं. 07, 16 से 39 तक कुल 25 पटवारी हल्के तथा रा.नि.मं. रोशनी के प.ह.नं. 40 से 42, 50, 53 से 71 कुल 23 पटवारी हल्के इस प्रकार कुल 71 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। अनुविभाग खालवा के सृजन उपरांत शेष अनुविभाग हरसूद में तहसील हरसूद के रा.नि.मं. किल्लौद के प.ह.नं. 1 से 16 व रा.नि.मं. हरसूद के पटवारी हल्का 17 से 33 तथा रा.नि.मं. छनेरा के प.ह.नं. 34 से 50 इस प्रकार कुल 50 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नेहा मारव्या, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 12 मई 2023

क्र.-एफ-01-18-2022-सात-शा-7.—भारत सरकार के अनुच्छेद 348 के खण्ड (2) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक क्र.-एफ-01-18-2022-सात-शा-7, दिनांक 12 मई, 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नेहा मारव्या, उपसचिव.

Bhopal, the 12th May, 2023

No. F-01-18/2022/ VII /Sec.7- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, creates new sub-division Khalwa in District Khandwa from the date of publication of this order in the Gazette, which would comprise of total 71 patwari halkas i.e. patwari halka no. 01 to 06, 8 to 15, 43 to 49, 51, 52 a total 23 patwari halka of R.I. circle Aashapur, patwari halka no. 07, 16 to 39 a total of 25 patwari halka of R.I. circle Khalwa and patwari halka no. 40 to 42, 50, 53 to 71 a total of 23 patwari halka of R.I. circle Roshni.

After the formation of Sub-division Khalwa, the Sub-division Harsud, will now comprise of total 50 patwari halkas i.e. patwari halka no. 1 to 16 of R.I. circle Killaud, patwari halka no.17 to 33 of R.I. circle Harsud and patwari halka no.34 to 50 of R.I. circle Chhanera.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
NEHA MARVYA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 12 मई 2023

क्रमांक- एफ-01-20/2022/सात/शा-7, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से जिला सागर में नवीन अनुविभाग जैसीनगर का सृजन किया जाता है, जिसमें तहसील जैसीनगर रा.नि.मण्डल जैसीनगर 01 के पटवारी हल्का क्रमांक 174 से 188 तक 15 हल्के, रा.नि.मं. सेमाढाना 02 के पटवारी हल्का क्रमांक 150 से 173 तक 24 हल्के एवं रा.नि.मं. बिलहरा 03 के पटवारी हल्का क्रमांक 127 से 149 तक 23 हल्के इस प्रकार कुल 62 हल्के समाविष्ट होंगे। नवीन अनुविभाग जैसीनगर के गठन उपरांत शेष सागर अनुविभाग में तहसील सागर (नगर) के कुल 22 हल्के और तहसील सागर (ग्रामीण) के 104 हल्के इस प्रकार कुल 126 हल्के समाविष्ट होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नेहा मारव्या, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 12 मई 2023

क्र.-एफ-01-20-2022-सात-शा-7.— भारत सरकार के अनुच्छेद 348 के खण्ड (2) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक क्र.-एफ-01-20-2022-सात-शा-7, दिनांक 12 मई, 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नेहा मारव्या, उपसचिव.

Bhopal, the 12th May, 2023

No. F- 01-20/2022/ VII /Sec.7- In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, creates new sub-division Jaisinagar in the district Sagar from the date of publication of this order in the official Gazette, which would comprise of the total 62 patwari halkas i.e. patwari halka no. 174 to 188, 15 halkas of R.I. Circle Jaisinagar 01 tahsil Jaisinagar, patwari halka no. 150 to 173, 24 halkas of R.I. Circle Semadhana 02 and patwari halka no. 127 to 149, 23 halkas of R.I. Circle Bilhara 03.

After the formation of new sub-division Jaisinagar, Sub-division Sagar will now comprise of total 126 patwari halkas i.e. 22 patwari halkas of tahsil Sagar (Urban) and 104 halkas of tahsil Sagar (Rural).

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
NEHA MARVYA, Dy. Secy.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 12 मई 2023

भू-सर्वेक्षण का प्रारंभ

क्र. -भू-सर्वेक्षण-212023-2023.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं :-

अनुसूची

सरल क्र.	जिला	तहसील	ग्राम/नगर	पटवारी हल्का क्र./सेक्टर क्र.	भू-सर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	इन्दौर	जूनी इन्दौर	रेसीडेन्सी एरिया	प. ह. नं. 8	नगरीय क्षेत्र

संजय गोयल, आयुक्त.

ग्वालियर, दिनांक 12 मई 2023

भू-सर्वेक्षण का प्रारंभ

क्र.-493-भू-सर्वेक्षण-17996-2023.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (6) में वर्णित क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं :-

अनुसूची

सरल क्र.	जिला	तहसील	ग्राम/नगर	पटवारी हल्का क्र./सेक्टर क्र.	भू-सर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	सीहोर	भैरूदा	गिल्लौर (मूल ग्राम) मनासा (मजरा टोला)	प. ह. नं. 31	उक्त ग्रामों का सम्पूर्ण क्षेत्र (ग्रामों की आबादी क्षेत्रों को छोड़कर)

अखिलेश कुमार जैन, संयुक्त आयुक्त.